लोकतांत्रिक राजनीति

भाग-1

कक्षा नवम् हेतु राजनीति विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक

(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, पटना द्वारा विकसित)

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण बिहार राज्य के निमित्त ।

प्रथम संस्करण : 2009
पुनर्मुद्रण : 2009
पुनर्मुद्रण : 2011-12
पुनर्मुद्रण : 2012-13
पुनर्मुद्रण : 2018-19
पुनर्मुद्रण : 2020-21
पुनर्मुद्रण : 2023-24

मूल्य- ₹ **26.00**

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य-पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800 001 द्वारा प्रकाशित तथा हेबा प्रिन्टिंग वर्क्स, कर्मल्ली चक, मोहली रोड, पटना-08 द्वारा 70 जी.एस.एम वाटर मार्क वर्जिन पल्प टेक्स्ट पेपर एवं 175 जी.एस.एम पल्प बोर्ड आवरण पेपर पर कुल 1,00,000 प्रतियाँ 24x18 से.मी. साइज में मुद्रित।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से राज्य के कक्षा–IX हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया है प्रथम चरण में शैक्षिक सत्र 2009 के लिए वर्ग IX की सभी भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तकों का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया । इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एस.सी.ई.आर.टी. बिहार, पटना द्वारा सभी भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तक (वाणिज्य एंव कला विषयक) बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित किया गया है।

बिहार राज्य में विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, डा. चंद्रशेखर तथा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के. के. पाठक के मार्ग निर्देशन के प्रति हम ह्दय से कृतज्ञ हैं ।

एस. सी. ई. आर. टी. बिहार, पटना के निदेशक के हम आभारी हैं, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया ।

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके।

श्री सन्नी सिन्हा, आई०आर०एस०एस०

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०, पटना।

दिशा-बोध

श्री सज्जन आर०, भा०प्र०से०, निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्-बिहार

डॉ० सैयद अब्दुल मुईन, विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, एस.सी.ई.आर.टी., बिहार

श्री राम तवक्या तिवारी, विभागाध्यक्ष, मानविकी विभाग, एस.सी.ई.आर.टी., बिहार

पाठ्य-पुस्तक विकास समिति सदस्य

डॉ. आर. के. लाल,	राजनीति विज्ञान, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
डॉ. गांधीजी राय,	अवकाश प्राप्त प्राचार्य, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्व- विद्यालय, आरा।
डॉ. परमानन्द सिंह,	स० शिक्षक, राजकीयकृत कृतस्टूडेण्ट्स साईंटीफिक उच्च विद्यालय, पटना।
श्री विजय कुमार सिंह,	स० शिक्षक एफ्. एन. एस. एकेडेमी, गुलजारबाग, पटना।
श्रीमती शीला कुमारी,	विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना।
डॉ. राकेश रंजन,	व्याख्याता, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ० मुकेश कुमार राय	स्नातकोत्तर शिक्षक, बी.एन. कॉलेजिएट इण्टर स्कूल, पटना।
श्री संजय कुमार सुमन,	स० शिक्षक, विद्यापति उच्च विद्यालय, वाजितपुर, समस्तीपुर।

समन्वयक

डॉ० रीता राय	व्याख्याता, राज्य शिक्षा-शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार।

समीक्षा समिति के सदस्य

डॉ० (प्रो०) रणधीर सिंह,	विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, राजनीति शास्त्र, ए.एन.कॉलेज, पटना
डॉ० (प्रो०) नील रतन,	ए.एन. सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना

आमुख

यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2006 के आलोक में विकसित नवीन पाठ्यक्रम 2007 के आधार पर तैयार की गई है। वर्ष 2009 में नये पाठ्यक्रम के आलोक में तैयार यह पुस्तक नवम् वर्ग हेतु लागू होने जा रही है।

इस पुस्तक के विकासक्रम में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि शिक्षार्थियों को स्कूली जीवन के बाहर आस-पास से अनुभवों के साथ जोड़ते हुए विषय-सामग्री से परिचित कराया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ई० एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 का मूल उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के स्कूली जीवन और स्कूल से बाहर के जीवन में अंतराल नहीं होना चाहिए। पुस्तक को विकसित करते समय इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति से दूर ले जाया जाए। बच्चों में सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बच्चों को अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाएँ। पुस्तक विकासक्रम में इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

नवम् वर्ग में शिक्षार्थी के मस्तिष्क का इतना विकास तो हो ही जाता है कि वह लोकतांत्रिक दुनिया की सैर करने के क्रम में लोकतंत्र के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं को समझने के प्रयास में सक्षम बन सके। इस स्तर के बच्चों में समझ को परखते हुए कोशिश की गई है कि बच्चे लोकतंत्र के 100 वर्ष के विकास एवं विस्तार की चुनौतियों को समझते हुए आधुनिक परिवेश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मूल स्वरूप से परिचित हों। साथ ही इस पुस्तक के विकासक्रम में यह कोशिश भी की गई है कि छात्र लोकतंत्र में शासन व्यवस्था के निर्धारण हेतु संवैधानिक स्वरूप के कुछ बुनियादी प्रश्नों को समझने एवं व्याख्या करने में सक्षम हो सकें। साथ ही पुस्तक के विकासक्रम में इस बात पर भी बल दिया गया है कि शिक्षार्थी लोकतांत्रिक

राजनीति में चुनावी राजनीति के केवल सैद्धान्तिक ही नहीं अपितु व्यवहारिक व्यवहार को समझते हुए लोकतंत्र की संसदीय संस्थाओं से परिचित हों तथा उसके व्यावहारिक कार्य को समझें। पुस्तक के अन्त में विभिन्न लोकतांत्रिक अधिकारों से छात्रों को परिचित कराने की कोशिश की गई है ताकि छात्र भविष्य में लोकतांत्रिक राजनीति के सहभागी बनने हेतु संवेदनशील रहें।

एस.सी.ई.आर.टी सर्वप्रथम इस पुस्तक के विकास में शामिल विद्वत्जनों के प्रति आभार प्रकट करती है, जिनके सहयोग से यह महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ। साथ ही इस पुस्तक के विकास के लिए बनाई गई पाठ्य विकास समिति के सदस्य डॉ. आर. के. लाल, सेवा निवृत्त प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना, डॉ. गांधीजी राय, सेवा निवृत्त प्राचार्य, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, डॉ॰ शीला कुमारी, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना, डॉ. परमानन्द सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीयकृत स्टूडेण्टस साईंटीफिक उच्च विद्यालय, कदमकुँआ, पटना, श्री विजय कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, एफ्. एन. एस. एकेडेमी, गुलजारबाग, पटना, डॉ. राकेश रंजन, व्याख्याता, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना, डॉ॰ मुकेश कुमार राय, स्नातकोत्तर शिक्षक, बी.एन. कॉलेजिएट इण्टर स्कूल, पटना, श्री संजय कुमार सुमन, सहायक शिक्षक, विद्यापति उच्च विद्यालय, वाजितपुर, समस्तीपुर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। एन. सी.ई.आर.टी. के प्रति हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि इस पुस्तक को तैयार करने के क्रम में एन.सी.ई.आर.टी. ने नवम् वर्ग के लिए निर्धारित पुस्तक के कई अंशों एवं महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं का सहारा लिया गया है। हम श्री राम तवक्या तिवारी, विभागाध्यक्ष, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान एवं अन्य सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिनके प्रयत्न से तत्परतापूर्वक निर्धारित कार्य सम्पन्न हुआ।

इस पुस्तक के विकासकार्य को अत्याल्प समय तथा शीघ्रता में तैयार किया गया है। संभव है कहीं-कही कुछ त्रुटियाँ रह गयी हों, जिन्हें विद्वत्जनों के सुझाव से अगले संस्करण में सुधारने का प्रयास किया जाएगा।

हम विशेष रूप से डॉ० सैयद अब्दुल मुईन, विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, एस.सी.ई.आर.टी. के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन में इस महती कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराया गया। शब्दांकन, प्रूफ संशोधन एवं भाषा-परिमार्जन में डॉ० सतीशराज पुष्करणा का महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हम संकाय के उन सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं जिनकी एकनिष्ठ सक्रियता ने कार्य को सुगम बना दिया।

श्री सज्जन आर०, भा०प्र०से०,
निदेशक,
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्-बिहार
पटना-800006

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1. लोकतंत्र का क्रमिक विकास	1 से 18
2. लोकतंत्र क्या और क्यों?	19 से 35
3. संविधान निर्माण	36 से 56
4. चुनावी राजनीति	57 से 77
5. संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ	78 से 107
6. लोकतांत्रिक अधिकार	108 से 137

अध्याय -1

लोकतंत्र का क्रमिक विकास

परिचय

प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष की विवेचना करती है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले सौ वर्षं में किस प्रकार लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार विश्व के ज्यादा से ज्यादा देशों में होता गया। आप देखेंगे कि आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एवं विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है।

इस प्रथम अध्याय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना से संबंधित कई उदाहरण दिए गये हैं। इन उदाहरणों से आप समझ पायेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताओं की भी पहचान कर सकेंगे। हम यहा¡ भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना पुनर्स्थापना से संबंधित कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय के अंत में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है?

आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के स्वरूप को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु कितना संघर्ष करना पड़ा। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार पुनर्स्थापित हुई। इस हेतु दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख देश चिली के घटना चक्र तथा 1980 के प्रमुख देश चिली के घटना चक्र 1980 के पोलैण्ड की घटना को देखें-

दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है। आयेंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिष्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में 'पोपुलर यूनिटी' नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। आयेंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाये। उसने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा-प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किये। चिली के आयेंदे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाये, जैसे-बच्चों को मुफ्त दूध बाँटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बाँटना आदि। इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कम्पनियां देश के ताँबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी। और काफी मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे ने विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया। चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके विरूद्ध षडयंत्र में शामिल हो गये।

फलतः 11 सितम्बर, 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। राष्ट्रपति आयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इंकार किया। सेना कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियों पर देश के नाम अपना संदेश दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं-

''मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों! चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगें। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद! चिलीवासी जिंदाबाद! मजदूर जिंदाबाद!

ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा।''

- क्या राष्ट्रपति अपने भाषण में मजदूरों की दशाओं में सुधार के बारे में इशारा करते हैं?
- राष्ट्रपति का विरोध कौन-कौन लोग करते थे?
- अमीर लोग राष्ट्रपति से नाखुश क्यों थे?

इस प्रकार 11 सितम्बर, 1973 को जनरल आगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी।

11 सितम्बर, 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे **'सैनिक तख्तापलट'** कहते हैं। तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल आगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोशे की सरकार ने आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की माँग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। आयेंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं था।

पिनोशे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई।

अभी तक चिली में चार बार चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाया। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2006 के जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख **अलबर्टो वेशेले** (जिनकी हत्या 1973 में हुए विद्रोह के दौरान कर दी गयी थी) की पुत्री **मिशेल वैशले विजयी** रहीं। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद ही चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी।

खुद करें, खुद सीखें

- नक्शे में चिली की खोज करो और उसमें रंग भरो
- नक्शे से यह पता करो कि हमारे देश के किस राज्य का आकार चिली के आकार से मिलता है?
- यह पता लगाओ कि चिली के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं?

पोलैण्ड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैण्ड भी था। उस समय पोलैंण्ड पर **'जारूज़ेल्स्की'** के नेतृत्व में **'पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स'** पार्टी का शासन था।अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैण्ड में भी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

14 अगस्त, 1980 को पोलैण्ड में एक घटना घट गयी। उस दिन 'ग्डास्क' शहर में अवस्थित 'लेनिन जहाज कारखाना' के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल का कारण था- एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। मजदूरों की माँग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। अन्य साम्यवादी शासन वाले देशों की तरह पोलैण्ड में साम्यवादी दल के मजदूर संगठनों के अतिरिक्त, किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। अतएव हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। परन्तु मजदूर बिना इसकी परवाह किये हड़ताल पर डटे रहे। इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रिशियन 'लेक वालेशा' हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। धीरे-धीरे हड़ताल पूरे शहर में फैल गया तथा इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि

(1) देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले।

(2) राजनैतिक बंदियों को रिहा किया जाए।

(3) प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए।

इस तरह आन्दोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा। लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता **'ग्डांस्क संधि'** कहलायी। इस ग्डांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैण्ड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम **'सोलिडरनोस्क'** अर्थात 'सोलिडेरिटी' रखा गया। 'सोलिडेरिटी' के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ था। एक वर्ष के भीतर ही सोलिडेरिटी की शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो गई और इसकी सदस्य संख्या एक करोड़ के करीब पहुँच गई। 1988 में लेक वालेशा के नेतृत्व में पोलैण्ड में फिर हड़ताल हो गई। इस समय तक पोलैण्ड की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट होने लगी थी। सोवियत संघ से सरकार को मदद का कोई भरोसा नहीं था। पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार के कु-प्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने से जनरल जारूजे़ल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष संकट बढ़ने लगा। हजारों की संख्या में सोलिडेरिटी के सदस्यों को जेलों में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छीन ली गई।

लेक वालेशा के नेतृत्व में आन्दोलन पूरे देश में फैल गया। अन्ततः पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। 1989 में पुनः सरकार एवं लेक वालेशा के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पोलैण्ड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। लेक वालेशा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के 99सीटों पर सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 1990 में पोलैण्ड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में लेक वालेशा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने।

खुद करें, खुद सीखें

- नक्शे में पोलैण्ड को ढूँढों तथा यह बताओं कि 1980 के दशक में यूरोप के किन-किन देशों में साम्यवादी शासन था? नक्शे में उन देशों पर रंग भर
- उन देशों का पता लगाओ जहाँ वर्तमान में साम्यवादी शासन है।

लोकतंत्र की विशेषताएँ

हमने अभी तक चिली एवं पोलैण्ड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। बच्चों! हमने देखा कि चिली में आयेंदे के लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए कई सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया था। 11 सितम्बर, 1973 में तख्तापलट के बाद बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी जिसका उद्देश्य अमीरों की हित साधना था। पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई।

1980 के दशक की पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारूजेल्स्की कर रहा था। यह सरकार जनता में अलोकप्रिय थी, लेकिन 1990 में लेक वालेशा के नेतृत्व में बनी पोलैण्ड की सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में इस अर्थ में भिन्न थी कि यह एक निर्वाचित सरकार थी।

बच्चों, आओ हम इन सभी सरकारों की आपस में तुलना करें सबसे पहले दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिली में पिनोशे शासन और पोलैण्ड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर था–

1. चिली में सैनिक शासन था जबकि पोलैण्ड में एक पार्टी का शासन था।

2. पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वह पोलैण्ड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। चिली के शासक पिनोशे का ऐसा कोई दावा नहीं बनता था।

3. जहाँ पोलैण्ड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिकनायकवाद का उदाहरण था वहाँ चिली का शासन सैनिक अधिकनायकवाद का।

इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएँ भी थी–

1. दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी।

2. दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी।

आइये, अब हम तीन लोकतांत्रिक सरकारों–चिली की आयेंदे सरकार,पोलैण्ड की लेक वालेशा सरकार और चिली की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण करें–

1. तीनों सरकारों का चुनाव देश की जनता द्वारा हुई थी,

2. बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या फौज शासन नहीं चला रही थीं।

3. नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल थीं।

आइए, हम उपरोक्त विवरण के आधार पर लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताओं की पहचान करते है

- लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनें।
- सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है।
- लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है।
- लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होती है।
- लोगों को संगठन बनाने का अधिकार भी होता है

हम अध्याय-2 में इन प्रश्नों पर दोबारा आयेंगे और लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा बनायेंगे। उपर के कथाओं को पढ़ने के बाद हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं-

लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियों तथा लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु लोगों ने काफी संघर्ष किया।

कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तख्ता पलट हुआ और देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई।

पुन: लम्बे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई।

आइये, हम लोकतंत्र की मूल विशेषताओं जिनका उल्लेख पहले किया गया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। ये सारी स्थितियाँ नीचे अंकित नक्शों में साफ दिखायी देती हैं। पहले नक्शे में 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया है। सन् 1975 तक दुनिया के कई औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई थी। इन देशों को 1975 वाले दूसरे नक्शे में

दर्शाया गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए तीसरे नक्शे में सन् 2000 तक वैसे देशों को दर्शाया गया है, जहाँ 21वीं सदी की शुरूआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी।

नक्शा 1.1 : 1900 और 1950 के बीच लोकतांत्रिक सरकारें

नक्शा 1.2 : 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें

नक्शा 1.3 : 2000 में लोकतांत्रिक सरकारें

उपर के नक्शों को देखकर हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। बीसवींसदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही? यह विस्तार कब हुआ और किन क्षेत्रों में हुआ? क्या पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास हुआ? क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ? क्या आज भी दुनिया के काफी बड़े हिस्से में लोकतंत्र नहीं है? आओ,हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर एवं अपने संशयों का समाधान **''लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण''** नामक उपशीर्षक में ढूँढें।

कहाँ पहुचे? क्या समझे

इन नक्शों के आधार पर तीन देशों तक की पहचान करें जहाँ नीचे दिए गए वर्षों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएँ थीं और फिर नीचे दी गई तालिका को भरें।

वर्ष	अफ्रीका	एशिया	यूरोप	लातिनी अमेरिका
1950				
1975				
2000				

- ❖ नक्शा 1.1 से ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहाँ सन् 1900से 1950 के बीच लोकतंत्र था।
- ❖ नक्शा 1.1 और 1.2 से कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहाँ 1950 से 1975 के बीच लोकतंत्र आया।
- ❖ लक्शा 1.2 और 1.3 से यूरोप के कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जो सन् 1975 और 2000 में लोकतांत्रिक थे।
- ❖ लातिनी अमेरिका के कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जिन्हों ने 1975 के बाद लोकतंत्र को अपना लिया।
- ❖ कुछ ऐसे देशों की सूची बनाइए जो सन् 2000 तक में लोकतांत्रिक नहीं हुए थे।

लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण

आइए, हम सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्धकाल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। इन गणराज्यों में कपिलवस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत के भागों का प्रान्त, अलकम्प का बुलि,केरूपुत्त के कालाम, रामग्राम, कुशीनारा का मल्ल, पिप्पलीवन के मोरिय, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह आदि शामिल थे। गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। राज्य की वास्तविक शक्ति एक केन्द्रीय समिति के पास थी, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये सभी प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में केन्द्रीय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति तथा भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। सभी प्रकार का निर्णय बहुमत से होता था। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बुद्धकालीन गणराज्यों में शासकों का चुनाव होता था।

आइये, अब हम आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों का अवलोकन करते हैं।

प्रारम्भिक चरण :- आधुनिक विश्व में सन् 1789 ई0 में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरूआत होती है। इस क्रांति ने लोकतंत्र के तीन

तत्त्वों को स्थापित किया-स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व। लेकिन फ्रांस के जनविद्रोह ने स्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं कीथी क्योंकि फ्रांस के शासकों ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। परन्तु फ्रांस में बार-बार लोकतंत्र स्थापित हुई। फ्रांस के 1789 की क्रांति का संदेश संसार के कई देशों में फैल गया। इस जन विद्रोह ने यूरोप में जगह-जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी।

ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले ही कदम रख चुका था। लेकिन यहाँ इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। ब्रिटेन में 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे-धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए। यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएँ घटीं, जिनसे राजशाही और सामंत वर्ग की शक्तियाँ कम होने लगीं और जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस देश में ब्रिटिश हुकुमत के विरूद्ध संघर्ष शुरू हुआ। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1776ई. में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकुमत को उखाड़ फेंका और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। अमेरिका में 1789 ई. में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया और आज भी इसी संविधान के अनुसार अमेरिका की शासन-व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है।

यद्यपि 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ और इसमें प्रगति भी हुई। परन्तु यह संघर्ष नागरिकों की राजनैतिक समानता, लोगों की स्वतंत्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता जैसे मूल्यों के प्राप्ति तक ही सीमित रहा। अभी भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार जनता को प्राप्त नहीं थे। 1900 ई. तक न्यूजीलैण्ड को छोड़कर किसी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। न्यूजीलैण्ड में 1893 ई. में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। कुछ देशें में मताधिकार उन्हीं को प्राप्त था जिसके पास निजी सम्पति थी। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ अश्वेत पुरूषों को भी मताधिकार मिला। इस तरह अभी भी लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष की जरूरत थी। अब लोग, सभी वयस्क, चाहे वह महिला हो अथवा पुरूष, चाहे वह गरीब हो या अमीर और चाहे वह श्वेत हो या अश्वेत हो, को मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करने लगे। अभी तक इतना तो निश्चित हो चुका था कि यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारम्भिक चरण पूरा हो चुका था। इन देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार का चयन किया। यद्यपि, चुनाव में भाग लेने वाले अधिकांश पुरूष ही होते थे।

उपनिवेशवाद का अन्त

आइये, अब हम एक नजर दौड़ायें कि किस तरह उपनिवेशों की जंजीर तोड़कर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों के नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अत: इन देशों की जनता ने अपने-अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक शासकों ने इसे दबाने का प्रयास किया, परन्तु संघर्ष के विस्तार देखते हुए औपनिवेशिक शासकों को झुकना पड़ा तथा सीमित अधिकार वाले सरकार चूनने का अधिकार प्राप्त हुए। परन्तु जनता इससे संतुष्ट होने वाली नहीं थी। अब सम्पूर्ण राजनैतिक अधिकारों की मांग होने लगी। अंततोगत्वा औपनिवेशिक शासकों को इन देशों को स्वतंत्र करना पड़ा। इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। **इसी तरह हमारा देश भारत भी 1947 ई. में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई।** यह लोकतंत्र सफल रहा और यह आज भी सफलतापूर्वक जारी है।परन्तु अधिकांश पूर्व में उपनिवेश रहे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है।

आइये, हम पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की कहानी लेते हैं, जहाँ लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नही रहा। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्डकोस्ट था। राजनैतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष की शुरूआत हुई। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक **'क्वामे एनक्रूमा'** इस संघर्ष का नेता था। उसके नेतृत्व में घाना 1957 ई. में आजाद हुआ। आजादी के बाद एनक्रूमा घाना के प्रधानमंत्री एवं फिर राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास रहा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्रूमा ने अपने आपको आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। सेना ने 1966 ई. में घाना के एनक्रूमा सरकार का तख्ता पलट दिया गया और इस तरह घाना में लोकतंत्र का खात्मा हो गया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों में कमोवेश यही स्थिति रही।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम

1893	न्यूजीलैंड
1917	रूस
1918	जर्मनी
1919	नीदरलैंड
1928	ब्रिटेन
1931	श्रीलंका
1934	तुकी

1944	फ्रांस
1945	जापान
1950	भारत
1951	अर्जेंटीना
1952	यूनान
1955	मलेशिया
1962	आस्ट्रेलिया
1965	अमेरिका
1978	स्पेन
1994	दक्षिण अफ्रीका

खुद करें, खुद सीखें

- एटलस में घाना को ढूँढो और यह कि अभी घाना के शासक कौन है?
- फ्रांसीसी क्रांति के नायकों के नाम पता करो।

आइए हाल के दौर में लोकतंत्र की दिशा में बढ़ते कदम के क्रम जिक्र करें।

1980 के बाद लातिनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। चिली की कहानी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। पुनः हमने देखा कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद पोलैण्ड में किस प्रकार लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गयी। 1989-90 में पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत प्रभाव में कमी आई और वहाँ लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली नागरिकों ने अपना लिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गये। इनमें अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था अपनाया। इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ।

आइए, हम भारत के पड़ोस में स्थित कुछ देशों में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष की जानकारी लेते हैं।

भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना,समाप्ति एवं पुनर्स्थापना की कहानी को भी देखा जा सकता है।1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अन्तर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 में राजा

महेन्द्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए, लेकिन 1962 में राजा महेन्द्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आन्दोलन के परिणामस्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरूआत हुई। 1991 में नेपाल में संसद के चुनावों में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जी.पी.कोईराला देश के प्रधानमंत्री बने। अत: नेपाल में पुन: लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1996 से नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज उठाने के लिए आन्दोलन किए। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया, जब राजा वीरेन्द्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी गई। उसके बाद ज्ञानेन्द्र ने राजपद सम्भाला। राजा ज्ञानेन्द्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार नेपाल में पुन: लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आन्दोलन के कारण मई, 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉ॰ रामबरन यादव एवं प्रधानमंत्री 'प्रचंड' हुए। वहाँ सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बार-बार लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हुई।

भारत के एक अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना एवं पतन की प्रक्रिया चलती रही है। जनरल जिया उल हक की मृत्यु के बाद1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुन: लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाजशरीफ का तख्तापलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की। परन्तु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए एवं वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना आरम्भ कर दिया। अंतत: जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े। 2008 के चुनावों के बाद पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आयी। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांतिप्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गयी। नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और युसेफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसी प्रकार म्यांमार जो पहले (बर्मा) कहा जाता था, में लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष जारी है। यद्यपि 1948 में औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परन्तु 1962 से सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर 1990

में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराये गए। इन चुनावों में आंग सान सू की की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया, परन्तु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इंकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। म्यांमार की सैनिक सरकार ने सू की सहित अन्य चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। म्यांमार में सैनिक सरकार के विरूद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध है। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहाँ के लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और अन्यत्र शरणार्थी बनकर रहने लगे हैं।

नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सू की ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा है। उनके शब्दो में "बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों की विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है।" आंग सान सू की के संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिला। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की है कि वर्तमान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हेतु सभी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए। इस प्रकार म्यांमार में दिनों दिन लोकतंत्र समर्थक आन्दोलन मजबूत हो रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब म्यांमार में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होगी।

खुद करें, खुद सीखें

- एटलस में एशिया के उन देशों को ढूँढे, जहाँ लोकतंत्र के लिए संघर्ष चल रहा है।
- नेपाल एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम पता लगाइये।
- नक्शे में म्यामांर को ढूँढिए। भारत के कौन-कौन से राज्य उस देश की सीमा से लगे हैं?

वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र

उपर हमने देखा कि लोकतंत्र का विस्तार विश्व के अधिकांश देशों में हो रहा है। हमारे मन में यह विचार सहज उत्पन्न होता है कि क्या हम विश्व-लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत की एक सरकार है, नेपाल की एक सरकार है, ब्रिटेन की एक सरकार है

और भी देशों की सरकारें हैं, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं है। विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा निर्मित कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हों। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर विश्व में ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो आंशिक रूप से वैसे ही कार्यों को करती हैं जैसे कि किसी देश की सरकार करती है। ये संस्थाएँ अथवा संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य हैं। इस संगठन के छः मुख्य अंग हैं-**महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद,** न्याय का **अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय** एवं **सचिवालय।** महासभा संसद की भांति है, जिसमें किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्रों पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा में सभी 194 सदस्य देशों को एक-एक वोट देने का अधिकार है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं। इस आधार पर हम महासभा के संगठन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। **सुरक्षा परिषद** में **15 सदस्य** होते हैं, इनमें **पाँच स्थायी** एवं **दस अस्थायी** होते हैं। स्थायी सदस्य हैं-अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दस अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा दो वर्षों के लिए करती है। सभी स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद् उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नही कर सकती।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इसकी सदस्य संख्या 54 है। न्यास परिषद् मुख्यतः उन क्षेत्रों का प्रशासन देखती थी जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे एवं जहाँ स्वशासन का विकास नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के बीच के विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक अपना सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयार्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि किसी देश की सरकार रख सकती है। ये संगठन ऐसे नियम बनाते हैं जो विभिन्न सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं और उनके लिए दिशा-निर्देश देते हैं। अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्मित एवं विकसित विभिन्न कायदे-कानूनों की प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं।

1. किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य-व्यापार को संचालित करने वाले कायदे-कानून।

2. सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण में गिरावट रोकने-संबंधी नियम-कानून

शस्त्रों को नियंत्रित करने हेतु बनाये गये नियम

इन नियमों एवं कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। विभिन्न देशों की आपसी प्रतिद्वन्द्विता इन्हें लागू करने में रूकावट पैदा करती है। आज के वैश्वीकरण के युग में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग एक-दूसरे के ज्यादा संपर्क में आये हैं। वैश्विक संगठनों में लोकतंत्र की मांग भी पहले की तुलना में अधिक बढ़ी है एवं इसके लिए संघर्ष भी चल रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(क) लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है।

(ख) लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है।

(ग) लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है।

(घ) लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है।

2. इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है?

(क) विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण।

(ख) सैनिक तख्ता-पलट।

(ग) प्रेस पर प्रतिबंध

(घ) लोगों का संघर्ष।

3. इनमें से कौन-सा कथन सही है?

(क) प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं।

(ख) ब्रिटेन में 1688 ई. की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ।

(ग) फ्रांस में 1789 ई. की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली।

(घ) पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी

4. **निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए।**

अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि...

(क) अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो।

(ख) दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो।

(ग) विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान मिले।

(घ) विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो।

5. **स्तम्भ 'अ' एवं स्तम्भ 'ब' को सुमेलित कीजिए।**

स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(क) लिच्छवी	1. सैनिक तानाशाही की समाप्ति
(ख) नेपाल	2. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी
(ग) पाकिस्तान	3. प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य
(घ) घान	4. राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी।

6. गैर-लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गये उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।

7. एशिया के पाँच गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए।

8. जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यत: कौन-सी स्वतंत्रताएँ छीन ली जाती हैं।

9. इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

अपनी कक्षा में अलग-अलग समूह बना लें और नेपाल तथा पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष से संबंधित अलग-अलग तरह की सूचनाएँ इकट्ठी करें। इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें:

- इन देशों की पूर्व सरकार किस आधार पर गैर-लोकतांत्रिक थीं।
- नेपाल तथा पाकिस्तान के लोगों की मुख्य शिकायत और माँगें क्या है?
- लोगों की इन मांगों पर पूर्व शासकों की क्या प्रतिक्रिया थी?
- इन दो देशों में लोकतांत्रिक सरकार हेतु संघर्ष के मुख्य नेता कौन हैं?

अध्याय -2

लोकतंत्र क्या और क्यों?

परिचय

पिछले अध्याय में हमने जाना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है? आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ? प्राचीन भारत में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ? प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था? एवं आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ? अबहम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएँ क्या हैं? इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या हो सकती है? इसकी शुरूआत हम बहुत ही सरल परिभाषा से करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे की लोकतांत्रिक एवं गैर-लोकतांत्रिक सरकार में क्या अन्तर है? लोकतंत्र के व्यावहारिक पक्ष के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को जानेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की न्यूनतम विशेषताएँ क्या होती हैं? यह भी जानने की कोशिश करेंगे और अन्त में लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में आये तर्कों के साथ आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र के व्यापक अर्थ पर आयेंगे।

लोकतंत्र क्या है?

शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं। एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम **लोकतंत्र** कहते हैं। कुछ सरकारें वैसी भी होती हैं जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर अन्य माध्यमों जैसे तख्तापलट, पारिवारिक परम्परा आदि से स्थापित होती हैं और ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को **गैर-लोकतांत्रिक शासन** कहा जाता है। विश्व में कुछ ऐसी भी सरकारे हैं जिन्हें

जानने के बाद हम लोकतांत्रिक एवं गैर–लोकतांत्रिक शासन में अन्तर कर पायेंगे ।

हम, कुछ उदाहरणों के साथ इस तरह की सरकारों की कार्यप्रणालियों पर बारी–बारी से विचार करें। सर्वप्रथम, हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टुबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा कर खुद को देश का **'मुख्य कार्यकारी'** घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपना कार्यकाल पाँच वर्ष के लिए बढ़वा लिया जिसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी एवं गड़बड़ियाँ की गईं। 2002 में उन्होंने संविधान को बदल डाला। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली हो गया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास रही। फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए जिसमें आशिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसूफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी भी उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ खड़ी हैं।

स्पष्ट है कि हम परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उनका चुनाव नहीं किया। शासन के लिए अन्तिम फैसला लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों पर की जो जनता द्वारा नही चुने गए थे।

विश्व के प्रायः सभी राजशाही एवं तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में ऐसा ही होता है। नेपाल में वर्त्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही–शासन व्यवस्था थी जहाँ शासक का चुनाव नहीं होता था बल्कि राजपरिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यहाँ भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी।

कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अपनाने वाले चीन में भी शासन में आम लोगों की भागीदारी समान रूप से नहीं होती है। चीन की संसद के लिए प्रति पाँच वर्ष बाद नियमित

रूप से चुनाव होते हैं। संसद ही राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। इसलिए देश के लिए महत्त्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी न होकर कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है।

हमने पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सरकारों के तौर-तरीकों को देखा। अब भारत एवं ब्रिटेन की सरकार के तौर-तरीकों को देखेंगे। भारत एवं ब्रिटेन में सरकार का निर्माण चुनावों के माध्यम से होता है। इसके लिए प्रत्येक पाँच (मत) देते हैं। इस तरह के चुनाव में जिसे सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वे चुनाव जीत जाते हैं। वे देश के लोगों के प्रतिनिधि कहलाते हैं और वे लोग ही सरकार का निर्माण करते हैं और शासन के संचालन में भागीदारी निभाते हैं।

अब हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार **लोकतांत्रिक** कहलाती है और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती है वह **गैर लोकतांत्रिक** होती है।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

अब्दुल जब शाम अपने बैठका पर दादा के पास गया तो वहाँ देखा कि बहुत से लोग बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं- करीम के पापा बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव में मेरा वोट किसी दूसरे व्यक्ति ने दे दिया था। रमेश भैया बोल रहे थे कि मैंने तो दो वोट दिये थे एवं गणेश के चाचा कह रहे थे कि वोटर-लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। इन बातों को सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग क्यों वोट देते हैं और वोट देने के क्या फायदे हैं?

लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा

हमने इसके पहले लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकारों के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त कीं। आइये, अब हम लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा जाने। लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इन चुनावों में देश के वयस्क लोग अर्थात् जिनकी उम्र 18 वर्ष, से अधिक है वोट डालते हैं और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि

चुनकर शासन का संचालन करते हैं। अतएव हम सरल भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं।

वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन का केन्द्र बिन्दु होते हैं। इस बात को हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा समझ सकते हैं। उनके अनुसार **''लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है।''** यह परिभाषा बहुत ही सरल ढंग से लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन को व्यवस्था में अन्तर कर देती है। हमने यहाँ देखा कि जहाँ पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार एवं म्यामांर के सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। इस तरह के शासन-व्यवस्था वाले देशों में जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, वे देश का शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही।यही बात नेपाल की राजशाही शासन पर भी लागू होती थी। इसके पहले हमने देखा की नेपाल में वर्त्तमान शासन-व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन-व्यवस्थाथी वहाँ शासक का चुनाव नहीं होता था बल्कि राजपरिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। हम समझ सकते हैं कि इन देशों की शासन को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह समझ सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं और शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं एवं कानून का निर्माण भी स्वयं करते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

रमेश ने स्कूल से घर आकर अपने पिताजी से बोला कि कल मेरा स्कूल बंद है, क्योंकि कल मेरे स्कूल में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि आ रहे हैं और वे भाषण देंगे। उनके भाषण सुनने के लिए काफी भीड़ रहेगी। आप बताएँ कि जब भाषण सुनने के लिए इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं तो साथ-बैठ कर शासन के लिए फैसला क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए प्रतिनिधि चुनने की क्यों आवश्यकता पड़ी?

लोकतंत्र की विशेषताएँ

अब तक हमने लोकतंत्र के एक सामान्य अर्थ के संदर्भ में यह जानकारी पायी कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र की इस परिभाषा को समझने के बाद कुछ प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते है। जैसे–शासक कौन है? शासकों का चुनाव कैसे होता है? शासकों के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? किस तरह की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे?

आइए, इन सब प्रश्नों के उत्तर लोकतंत्र की विशेषताओं के माध्यम से जानने का हम प्रयास करें।

हम सभी लोग देखते हैं कि चुनाव के दिन हमारे परिवार के सदस्य जो वयस्क हैं, वोट डालने जाते हैं। ये लोग अपने अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, सरकार के लिए फैसले लेते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। यहाँ हमें एक बात समझ लेना आवश्यक है कि लोगों के वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अर्थात् इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होता है। अतः हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में अन्तिम शक्ति जनता में निवास करती है। जो लोकतंत्र की एक विशेषता है।

हमारे परिवार के सदस्य जब अपना वोट डालने गये तब बहुत से लोग अपना–अपना वोट डालने के इंतजार में खड़े थे। उनमें कुछ लोगों ने अपनी इच्छानुसार वोट डाले जब कि अन्य लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें अपनी इच्छा के विरूद्ध वोट डालने पर मजबूर किया गया। जहाँ कहीं भी इस तरह के वोट डालने की व्यवस्था होती है वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में बिना किसी डर, भय एवं प्रलोभन के अपने इच्छानुसार वोट डाला जाता है। अतः हम लोकतंत्र के एक विशेषता में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं।

हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार से जुड़ा हुआ है। अब इस बात को लगभग पूरी दुनिया मान चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से बंचित किया गया है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है तथा फिजी के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है।

हमें यह समझना है कि जहाँ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है वहाँ

लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता। अतः लोकतंत्र के लिए आवश्यक है किस भी वयस्क लोगों के समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों के वोट का महत्व बराबर हो। यह भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है न कि किसी खास व्यक्ति या संस्था के अनुसार संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून बनते हैं तो क्या न्यायपालिका ऐसे कानून को समाप्त कर सकती है? लोकतंत्र में लोगों की बुनियादी अधिकारों की गारंटी होती है। लोगों को सोचने की, अपनी विचार देने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनैतिक गतिविधियों में स्वतंत्ररूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून के नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन्हीं सब अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जिनके आदेशों का पालन हम सबलोग करते हैं। इस प्रकार हमलोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन निर्धारित तौर-तरीकों के आधार पर करती है। सरकार कोई भी फैसला लम्बे विचार विमर्श के बाद लेती है। सरकारी सेवकों की जिम्मेदारियाँ संविधान द्वारा तय की जाती हैं और वे सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की एक विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है। लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर ही काम करती है।

खुद करें, खुद सीखें

अपने क्षेत्र के मुखिया जी या वार्ड सदस्यों से पूछें कि आपके पंचायत या वार्ड में इस महीने लोगों की बैठक कितनी बार हुई और इस बैठक में कितने लोगों ने अपने-अपने विचार रखें?

हमने देखा की वर्ष 2005 में बिहार के लिए चुनाव हुए जिसमें वयस्क लोगों ने अपना-अपना वोट दिये। उसी वोट से विधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आये। अब उसके बाद हमने देखा की श्री नीतिश कुमार की सरकार बिहार में बनी। हमलोग जानते हैं कि सरकार उसी की बनती है जिसका विधान सभा में आधे से अधिक प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त होता है अर्थात् बहुमत प्राप्त होता है। मतलब यह हुआ कि

शासन उसी की होती है जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है (इस संबंध में विस्तार से अध्याय-5 में पढ़ेंगे)। अतः लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि **लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है।**

हम देखते हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तब लोग विभिन्न तरह के झंडे एवं बैनर लेकर चुनाव प्रचार करते हैं। ये विभिन्न तरह के झंडे विभिन्न दलों के होते हैं। जैसे-पंजा छाप-कांग्रेस पार्टी का, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल का, तीर छापजनता दल युनाइटेड का आदि। ये सभी दल मतदाता को अपनी ओर लामबंद करने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न दलों के नेता अपने-अपने चुनावी कार्यक्रमों एवं भाषणों के माध्यम से अपनी अपनी नीतियाँ लोगों के सामने रखते हैं। देश के लोग उनके भाषण एवं विचारों को सुनकर अपनी इच्छानुसार मतदान करते हैं। उस समय मतदाता के समक्ष विभिन्न दलों का विकल्प होता है। जहाँ कहीं भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता।

इस अध्याय के शुरू में हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा की बात की थी और बताया था लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर अनेक उदाहरणों द्वारा लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को समझा जा सकता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें-

- लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सारे फैसले लेते हैं।
- चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं।
- चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित तौर-तरीकों एवं नियमों के अन्दर ही कार्य करती है और सरकार लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखती है।
- चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है जिनके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध होते हैं।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे

चुनाव के समय विभिन्न झंडे एवं पताकों सेलदी गाड़ियाँ विभिन्न तरह के गाने बजाते हुए गाँव-मुहल्लों में घूमती रहती हैं। यह देखकर-सुनकर मन खुश हो जाता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि विभिन्न पार्टियों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ने से लोगों को क्या फायदा है?

लोकतंत्र ही क्यों?

हमलोगों ने प्रथम अध्याय एवं इस अध्याय में जाना कि शासन के अनेक रूप हैं, जैसे- **सैनिक शासन, तानाशाही शासन, राजशाही शासन, कम्युनिष्टशासन एवं लोकतांत्रिक शासन** आदि। हमलोगों को यह जानकर खुशी होगी की इन सभी शासनों में लोकतांत्रिक शासन को अन्य सभी शासनों से अच्छा शासन माना गया है। आज दुनियाँ के देशों में लोकतांत्रिक शासन अपनाने की होड़ मची हुई है। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन क्यों है? हमें इस प्रश्न को समझने के लिए लोकतंत्र के गुण एवं दोष अर्थात् इसके पक्ष एवं विपक्ष में उत्पन्न तर्कों को समझना होगा।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

हमलोग दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं एवं रेडियो के माध्यम से सुनते है कि संसद में एवं राज्यों विधान मण्डलों में किसी भी मुद्दे पर काफी गरमा-गरम बहस होती है। आखिर बहस क्यों होती है? इससे क्या लाभ होता है।

लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क

हमलोग जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन की चर्चा करते हैं तब लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क सामने आते हैं। लोकतंत्र के विरोधी यह तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक

देशों में अनपढ़ एवं गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या ज्यादा होती है। इससे इनके वोट को महत्व देने से शासन की गुणवता कम हो जाती है।

लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई और सत्ता का खेल चलता रहता है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती है और इसके अंतर्गत सिर्फ सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है। इससे लोगों के साथ-साथ देश की काफी क्षति पहुँचती है।

लोकतंत्र में फैसला लेने की प्रक्रिया कठिन होती है। फैसला लेने के पहले काफी वाद-विवाद, बहस एवं चर्चा होती है जिससे किसी भी निर्णय पर पहुँचने में दिक्कत होती है।

लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क यह भी है कि यह काफी खर्चीला शासन है, क्योंकि इसमें होने वाले चुनावों में काफी खर्च आता है। एक अन्य आरोप यह भी है कि लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाता है लोगों की भावनाओं को भड़का कर उनकी सहानुभूति बटोरकर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं

यहाँ हमारे सामने लोकतंत्र के खिलाफ अनेक तर्क आये हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि अभी तक लोकतंत्र ने समस्याओं को समाप्त करने संबंधी कोई तौर-तरीका विकसित नहीं कर पाया है। लोकतंत्र ने न तो आशंका को समाप्त कर पाया है और न ही गरीबी मिटाई है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है। फैसला लेने में देरी के साथ-साथ गलतियाँ भी होती हे। लेकिन सभी फैसले गलत नहीं होते।

अतएव इन बातों से लगता है कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है। फिर भी हमारे सामने जितने भी शासन हैं, उन सभी में लोकतंत्र ही बेहतर शासन प्रतीत होता है।

लोकतंत्र के पक्ष में तर्क

इस चर्चा में हमलोग मुख्य रूप से दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम-यह कि लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर क्यों है? दूसरा यह कि लोकतंत्र के कौन-कोन से गुण है? इन सवालों का हल एक एक उदाहरण से करेंगे-चीन में 1958-61 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयावह अकाल था। इसमें करोड़ों लोग भूख से मरे। ठीक ऐसी हीं तरह की भयावह स्थिति वर्ष 2008 के अगस्त-सितम्बर महीने में उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसे प्रलय की थी जिसमें करोड़ों-अरबों की सम्पति का नुकसान हुआ। लाखों लोग तबाह हुए। हमारे सामने दो तरह के शासन

वाले देशों में दो तरह की स्थिति है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बिहार की प्रलय से जल्द ही निजात पा लिया गया जबकि चीन में उक्त अकाल से निजात पाने में काफी समय लग गया। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ी त्रासदी नहीं हुई क्यों कि लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है। वहाँ मजबूत विपक्षी दल होते हैं और सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया होता है।

यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन-पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार लोगों की जरूरतों के अनुसार आचरण करती है। इसके विपरीत गैर लोकतांत्रिक देशों में यह देखा जाता है कि सरकार लोगों की जरूरत के अनुसार अपना आचरण कर सकती है। या नहीं भी कर सकती है। यह सब सरकार चलाने वालों पर निर्भर करता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का पहला गुण है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जबाबदेही वाला होता है।

गैर-लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए सबसे उत्तम शासन-व्यवस्था है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्व परिचित होते हैं। वे लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन करते हैं। अतः लोकतंत्र में सरकार लोककल्याण के लिए कार्य करती है।

हमलोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे-स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का आकार आदि। यह अधिकार मानवाधिकार भी कहलाता है (मानवाधिकार की चर्चा अध्याय 6 में की गई है)। इन अधिकारों का उपयोग कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीन विकास कर सकता है। इस तरह के अधिकार केवल लोकतंत्र में ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र में ही सभी व्यक्ति अपने विचारों को रख सकते है। समान रूप से राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों का प्रयोगकर सकते है। इससे व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बढ़ावा मिलता है। यह लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है। इस संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि न्यायपालिका निरंतर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर नजर रखे रहती है।

लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है। यदि सरकार जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेती है तो सार्वजनिक चर्चा एवं

वहस के द्वारा उसपर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है। यदि सरकार अपने गलत फैसलों को नहीं बदलती है तो लोग सरकार को ही बदल सकते हैं। इसका उदाहरण यह है कि 1975 ई० में श्रीमती इंदिरा गांधी नेभारत में आपातकाल लागू की थी, जो लोगों के विचार में गलत फैसला था। इस फैसले के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 ई० के चुनाव में लोगों ने मतदान नहीं किया और श्रीमती गांधी को सत्ता से हटना पड़ा। इस तरह की व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक सरकारों में संभव नहीं है। अत: लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है।

चुनाव के दौरान या आम दिनों में नेताओं का भाषण होते रहता है। इस तरह के भाषणों में नेतागण सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लोगों को बताते हैं जिससे लोग आसानी से समझ लेते हैं कि सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम लोगों के हित में है या नहीं। यदि सरकार का फैसला लोगों के हितमें नहीं होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति सजग हैं। हम समझ सकते है कि लोकतंत्रही एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों को समय-समय पर राजनीतिक प्रशिक्षण होते रहता है।

अब हमें यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि लोकतंत्र न ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और न ही उन सभी चीजों को उपलब्ध कर सकता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उन सभी दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनियाँ के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराता है। इससे लोकतंत्र में लोगों की गरिमा एवं इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और अलग-अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ-साथ रह सकते हैं। इसमें अपनी इच्छानुसार काम करने और गलती सुधारने की संभावना रहती है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन-व्यवस्था माना जाता है। इन्हीं सब चर्चाओं के आधार पर समझा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं है अपितु लोकतंत्र राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है।

लोकतंत्र के व्यापक अर्थ

इस अध्याय में हमने लोकतंत्र के बुनियादी बातों की चर्चा की। हमने यहभी देखा

की एक शासन के रूप में लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर है। कुछ लोकतांत्रिक देशों को छोड़कर सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सभी लोग शासन-संचालन में भाग नहीं लेते हैं। केवल प्रतिनिधि ही शासन-संचालन में भाग लेते हैं।

अब तक हमने यह समझा कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। अब हमें समझना यह है कि लोकतंत्र तो अनेक देशों में है। इन देशों के लोकतंत्र में सामान्य लोकतंत्र और एक बेहतर लोकतंत्र कौन है? क्या सरकार की परिधिसे बाहर भी लोकतंत्र है? इन सवालों के समझने के लिए हमें लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझना होगा। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझने के लिए हम उदाहरणो को भी देख सकते हैं- प्रफुल्ल के बड़ी बहन रीती की शादी तय हो गयी है। घर में सभी लोग खुश हैं। रात में घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं। उस बैठक में यह फैसला लेना हैं कि शादी में कौन-कौन-सी और कैसी व्यवस्था करनी है। सभी लोगों को अपना-अपना विचार रखने का मौका मिलता है। सभी के विचार सुनने के बाद आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं कि शादी बेहतर ढंग से हो और किसी चीज की कमी नहीं हो। एक दूसरा उदाहरण है कि दशहरे की पूजा होने वाली है। गाँव में भी दुर्गा पूजा होगी। इसके लिए गाँव के सभी लोग बैठकर अपना-अपना विचार रख रहे हैं। कोई व्यक्ति पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार रख रहे हैं तो कोई व्यक्ति बेहतर पंडाल निर्माण की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सभी लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं और अन्त में फैसला सभी लोगों के विचार के अनुसार होती है।

उक्त दोनों उदाहरणों में लोकतंत्र के फैसले बुनियादी तौर-तरीके को उजागर करता है। इससे यह भी स्पस्ट होता है कि लोकतंत्र केवल सरकार तकही सीमित नहीं है बल्कि इसकी पहुँच संगठन, गाँव एवं परिवार तक है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग जीवन के किसी क्षेत्र में भीहो सकता है।

कभी-कभी लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के लिए नहीं करके एक आदर्श के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको पाने के लिए सभी देश प्रयासरत हैं। एक आदर्श के रूप में लोकतंत्र तभी आयेगा जब देश के कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहींसोयेगा, सभी को वोट का समान अधिकार मिलेगा, सभी को समान रूप से सूचनाएँ उपलब्ध होगा, बुनियादी शिक्षा सभी को समान रूप से मिलेगा। अगर हम इस आदर्श पर लोकतंत्र को परखेंगे तो लगेगा की दुनियाँ में कहीं भी लोकतंत्र नहीं आ पायेगा। लोकतंत्र में इन्हीं बुनियादी

समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जो लोकतंत्र का आदर्श है। जहाँ निष्ठा से इन बुनियादी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है वहाँ अच्छे लोकतंत्र हैं। अत: हम समझ सके हैं कि कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र में क्या अन्तर है।

इस चर्चा को समेटते हुए कहा जा सकता है कि अपने व्यापक अर्थ में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन् एक नैतिक धारणा तथा सामाजिक परिस्थिति भी है। लोकतंत्र एक सामान्य मनुष्य में निष्ठा पैदा करती है। यह जीवन जीने का एक ढंग के रूप में प्रयुक्त होता है।

प्रश्नावली

1. **इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है?**

   (क) लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो।

   (ख) चुनाव निष्पक्ष हो।

   (ग) न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो।

   (घ) सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो।

2. **आज दुनियाँ में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है?**

   (क) लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को।

   (ख) सैनिक शासन व्यवस्था को।

   (ग) कम्यूनिस्ट शासन व्यवस्था को।

   (घ) राजशाही शासन व्यवस्था को।

3. **लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अन्तर किस आधार परकिया जा सकता है?**

   (क) मतदान के अधिकार के आधार पर

   (ख) बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर

   (ग) समय सीमा के अन्दर चुनाव होने के आधार पर

   (घ) सरकार के निर्णय के प्रक्रिया मे के आधार पर

4. **लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं?**

(क) जनता (ख) सैनिक

(ग) न्यायाधीश (घ) चुनाव आयोग

5. **सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है?**

(क) संसद के हाथ में। (ख) जनता के हाथ में।

(ग) सेना या फौज के हाथ में (घ) न्यायाधीशों के हाथ में।

6 **वर्ष 2005 में बिहार विधान सभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता-पिता के साथ वोट देने गयी थी। लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बतायें कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है?**

(क) 20 वर्ष (ख) 21 वर्ष

(ग) 18 वर्ष (घ) 16 वर्ष

7. **यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है। उनके सामने देशों के नाम है जो गलत है। आप मिलान कर उसे ठीक करें।**

(क) लोकतांत्रिक शासन- म्यामांर (वर्मा)

(ख) सैनिक शासन - भूटान

(ग) कम्युनिष्ट शासन - भारत

(घ) राजशाही शासन - चीन

8. **यहाँ कुछ पार्टियों के चिह्न हैं और उनके सामने पार्टी का नाम है। जो गलत है आप हमें यह बतायें कि इन चिह्नों के सामने कौन सी पार्टी होगी?**

(क) पंजा छाप - भारतीय जनता पार्टी

(ख) कमल छाप - जनता दल यूनाइटेड

(ग) लालटेन छाप - कांग्रेस पार्टी

(घ) तीर छाप - राष्ट्रीय जनता दल

9 **यहाँ आपके सामने चार तरह के देशों के बारे में सूचनाएँ हैं आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगें। इनके सामने लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक**

एवं 'पता नहीं' लिखे

(क) देश क – जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं।

(ख) देश ख – शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है।

(ग) देश ग – जहाँ पुरूषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है।

(घ) देश घ – जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है।

10. यहाँ भी चार अन्य देशों के वारे में सूचनाएँ दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। यहाँ भी इनके आगे 'लोकतांत्रिक', 'गैर लोकतांत्रिक' एवं 'पता नहीं' लिखे।

(क) देश क– चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हों।

(ख) देश ख– स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है।

(ग) देश ग – धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार है।

(घ) देश घ – मत देने से बुजूर्गों को रोका गया है।

11. नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं हर एक में की गई गलती को पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक कर लिखें–

(क) लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं।

(ख) लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं

(ग) जिन देशों में चुनाव होता है। वहाँ माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है।

(घ) लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है। सरकार फैसला अपने इच्छानुसार लेती है।

(ङ) यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो।

12. नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों?

(क) लोकतंत्र में सभी लोगों का वोट का मूल्य बराबर होता है।

(ख) लोकतांत्रिक सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है।

(ग) लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा मनमानी करती है।

(घ) लोकतांत्रिक देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है।

13. नीचे कुछ कथन दीए गए हैं जिसमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक हैं। आप बताएँ कि यह कथन लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक क्यों है?

(क) भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा–संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाये।

(ख) मुखिया जो एक बूजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दिये की वह अनपढ़ थी।

(ग) बिहार सरकार ने दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाया है।

(घ) महिला संगठनों ने संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की है।

14. बिहार में एक गाँव ऐसा है जहाँ अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गाँव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार की ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इसमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों?

(क) अदालत में शिक्षा पाने के अधिकार को अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया।

(ख) सरकार के खिलाफ जन सभाएँ एवं बैठक की।

(ग) अपने गाँव में आये अधिकारियों को बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया।

(घ) अगले चुनाव में मतदान बहिस्कार का फैसला किया।

15. इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों?

(क) एक नेता जी––इस बार के चुनाव में जो मुझे वोट देगा उसे धोती,साड़ी एवं कम्बल मुफ़्त में दिया जाएगा।

(ख) मजदूर से किसान–– तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधी मजदूरी मिलेगी क्योंकि वह औरत है।

(ग) अधिकारियों से कर्मचारी –– हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

16. वर्ष 2008 के सितम्बर महीने में अखवारों में छपे दो समाचार आपके सामने है– प्रथम गुड्डी जो वयस्क लड़की है अपनी इच्छानुसार शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है। इसपर गाँव वालों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गाँव वालों ने गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि – अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियाँ बरसायी। इन दोनों खबर पर विचार करें और बतायें कि यह खबर लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं अपने समर्थन में तर्क दीजिए।

17. 26 दिसम्बर 2008 को दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में एक खबरछपी की – ''परमाणु करार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसरमें धरना, प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग सरकार से की। इस खबर पर विचार करें और बताएँ की विपक्षियों का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक अपने समर्थन में तर्क दीजिए।

परियोजना कार्य

गाँव एवं मुहल्ले के जानकार लोगों से पूछ कर पता लगायें कि आपके गाँव एवं मुहल्ले में आपके प्रतिनिधि पिछले 5 वर्षों में कितनी बार आये क्यों आये और कौन–कौन से काम किए?

अध्याय -3

संविधान निर्माण

परिचय

पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र की स्थापना और इस का विकास कैसे हुआ। किसी लोकतंत्र की सफलता के लिए एक संविधान का होना आवश्यक माना जाता है। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धान्तों के आधार पर चलता है, उन सिद्धान्तों या नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधानहीन राज्य की कल्पना करना बेमानी है। संविधान के अभाव में राज्य,राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी।

इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमारे लिए संविधान क्यों जरूरी है? यह बनता कैसे है? उसे कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन-कौन से है? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं?

हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है जहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान-निर्माण के कार्य को अंजाम दिया। हम इस अध्याय के प्रारंभ में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों एवं मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे काम-काज के लिए बढ़िया ढ़ाँचा उपलब्ध कराता है।

दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान

दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना लंबे संघर्ष का परिणाम है। यहाँ के लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किस प्रकार किया इसके पीछे लंबा इतिहास है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर आधारित शासन व्यवस्था थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने डाल दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर-जबर्दस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बाँट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा तीन-चौथाई है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के आलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी' वाला कहा जाता था ओर भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक, गोरों के अलावा शेष सब को छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था।

रंगभेद की शासन नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने-बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर हीं वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्रतट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग-अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेद भावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था।

1950 ई० से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिष्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदन शील गोरे नेशलन कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा।

नेल्सन मंडेला का परिचय एवं योगदान का उल्लेख

रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर-जबर्दस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए, गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनैतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियाँ उठा ली गई। 28 वर्षो तक जेल में कैद रखने के बाद नेलसन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में भी गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली जुली सरकार के गठन का रास्ता खुला।

यह सब कैसे हुआ? आइए इन असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुँह से यह जाने :-

''ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था, और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था देखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है।''

नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किये थे उन्हें भूल जाएँ और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री-पुरूष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ-साथ बैठें। दो वर्षों की चर्चा और बहस के बाद एक बेमिसाल संविधान बनाने में वे सफल रहे। इस संविधान में, नागरिकों को व्यापक अधिकार दिये गये । अतीत के दु:स्वप्न से बाहर निकल कर इस बात पर सहमति बनी कि अब से हर समस्या के समाधान में पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सब की भागीदारी होगी।

दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। अभी

हाल तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह कार्य दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ।

हमें संविधान की जरूरत क्यों है?

हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है? इस बात को दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले, दोनों ही साथ–साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत थे। वे इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धान्त से कोई समझौता न हों। उन्हें ढेरो सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी।

लंबी वार्ता के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीबों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर भी राजी हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन–जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था।इसे लागू करना कहीं इससे ज्यादा कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा।

ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित रूप में ले लिया जाए जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या–क्या कर सकती है और क्या–क्या नहीं कर सकती है यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। परंतु ये नियम तभी काम करेंगे जब चुनाव जीतकर आने वाले

लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं।

संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही विशेषता नहीं है। हर देश में सार्वभौमिक रूप से इसकी विद्यमानता अनुभव की जाती है, भले ही दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे-कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनैतिक दल सभी को एक संविधान की जरूरत होती है।

संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसे किसी देश के नागरिक स्वाभाविक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ-साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं।

संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख हैं:

पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है।

दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा?और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा।

तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। ओर हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं? और

चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करता है।

जिन देशों में संविधान हैं, वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का

निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो।

भारतीय संविधान का निर्माण

भारत में संविधान-निर्माण का कार्य बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच हुआ है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकल कर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बँटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बँटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था।

विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम-से-कम दस लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो वे अपनी रियासत का विलय कर दें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी।

1922 ई. में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्‌गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 1924 ई० में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह माँग की गयी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाये। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और काँग्रेस के आठ अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारतका संविधान कैसा होगा। इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी।

औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने-समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस

विधायिका का गठन किया, वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। पर विधान सभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्ही भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ बनानी थी और चलानी थीं। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे–1935 ई॰ का भारत सरकार कानून।

आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुँचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रान्ति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस की समाजवादी क्रान्ति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने वाले थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजों भारत के लिए उपयुक्त होंगे। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की।

संविधान सभा

चुने गए जन प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बँट गया–भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर1949 ई॰ को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।

इस सभा द्वारा पचास साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? इसके पीछे कारण है कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है। यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। पिछली

आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। पर किसी भी सामाजिक समूह या राजनैतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है।

संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा में भारत के लोगों की ही प्रतिनिधित्व रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंगसे नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह जाति, वर्ण,धर्म और देशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धान्त तय किए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप समिति के प्रमुख डॉ॰ बी. आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई-कई दौर में चर्चा हुई।दो हजार से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ।

तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकार्ड किया गया और संभालकर रखा गया। इन्हें कांस्टीट्यएट असेम्बली डिबेट्स नाम से 12 मोटे-मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्यापकता के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है।

कहाँ पहुँचे ? क्या समझे?

भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढे। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें।-

1. संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे।
2. सभा में समाज के अलग-अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था।
3. सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग-अलग थी।

भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य

इस अध्याय में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं। परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी-बारी से गौर करें।

सपने और वायदे

बच्चों ! तुम्हें भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में महात्मा गांधी का नाम न होने पर हैरानी हुई होगी। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों का अनुयायी थे। 1931 ई॰ में अपनी पत्रिका **'यंग इंडिया'** में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था : ''मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे....मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने ओर उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है, ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे ऐसा भारत जिस में सभी समुदाय के लोग पूरे मेल-जोल से रहें। ऐसे भारत में छूआछूत था शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को मर्दों जैसे अधिकार मिले। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा।''

भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉ. अंबेडकर के मन में भी था जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। असमानता कैसे दूर की जा सकती है इस बारे उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गाँधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था

‘‘26 जनवरी 1950 को हम विशेषाधिकारो से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामलें में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम ‘एक व्यक्ति एक वोट’ और ‘हर वोट का समान महत्व’ के सिद्धान्त को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढ़ाँचे के कारण ही ‘एक व्यक्ति एक वोट’ के सिद्धान्त को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे।’’

आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहर लाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें।:

‘‘वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें– पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियाँ जब मध्य रात्रि का घंटा बजाएँगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरूआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी–कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर होता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है आवाज आती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आपको भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेवारियाँ लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस सम्प्रभुता सम्पन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं। फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा हैं’’

कहाँ पहुँचे? क्या समझे

- पहले दिए तीनों उद्धरणों को गौर से पढ़ें।
- पहचानिए कि कौन सा विचार इन तीनों उद्धरणों में अवस्थित है।
- इन तीनों उद्धरणों में इस साझे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से भिन्न है?

जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी और उसे दिशा-निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जाँच परख किए गए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएँ इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान अपने बुनियादी मूल्यों की एक छोटी-सी उद्देशिका के साथ शुरूआत करता है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरूआत एक प्रस्तावना से करते हैं।

संयुक्त राज्य के हम सभी लोग

"अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का साथ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं।"

आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझे:

संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता-सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानकतय करता है- इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान की आत्मा बसती है।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की
स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारिख 26 नवंबर, 1949 ई.
(मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् का दो हजार छह विक्रमी)
को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

स्वयं करे, स्वयं सीखे

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की प्रस्तावना की तुलना करें-

- इन सभी में जो विचार साझा है, उनकी सूची बनाएँ।
- इन सभी में कम-से-कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें।
- दोनों में से कौन-सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती हैं।

भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषताएँ :

सम्प्रभुता : भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अन्तिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया,''हम भारत के लोग........ दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान-सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित अधिनियमित और अंगीकृत है।

विशालकाय लिखित संविधान :

भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल और व्यापक संविधान है। इसमें 470 (25भाग) से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इस व्यापकता के कई कारण हैं। संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच सम्बन्धाों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों और विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों की व्यवस्था के कारण इसके आकार में वृद्धि हो गयी है। संविधान की विशालता का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय संविधान में न केवल सिद्धान्तों कावर्णन, वरन् प्रशासनिक प्रबन्धों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है वरन् देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से एक विस्तृत संहिता भी है।

लोकतांत्रिक गणराज्य :

संविधान ने भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। **'लोकतंत्रात्मक'** शब्द इस बात का परिचायक है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है, लोकतंत्रात्मक सरकार जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित होती है। सरकार की स्थापना जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होती है और प्रतिनिधियों का चुनाव जनता संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार द्वारा करती है। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है, जहाँ के शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। गणराज्य का अर्थ की यही है कि यहाँ शक्ति का सम्पूर्ण स्त्रोत 'गण' अर्थात् जनता में है।

समाजवादी राज्य :

भारतीय संविधान में प्रशासन के समाजवादी सिद्धान्त पर बल दिया गया है। जिस राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्ण समाज को विकास का समान अवसर प्रदान किया जाता है, उसे समाजवाद कहते हैं। इसका उद्‌देश्य संपूर्ण समाज में आर्थिक राजनीतिक और आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना होता है। हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है।

धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता हे। 42 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलम्बियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा।

संसदीय शासन प्रणाली

भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया

जाता है। इस शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद् में निहित होती है। मंत्री परिषद् का नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा होता है और यह व्यवस्थापिका के जीवन पर्यन्त ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख ही होते हैं और वे अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं।

संघीय शासन प्रणाली

संविधान के प्रारंभ में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात् यहाँ की शासन-प्रणाली संघीय शासन प्रणाली होगी। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित न हो कर केन्द्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है। यदि केन्द्र और राज्य सरकारों में अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई वाद-विवाद होता है, तो उसे हल करने का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली तो है, परंतु यह संयुक्तराज्य अमेरिका जैसा संघ नहीं है, क्योंकि वहाँ राज्यों ने केन्द्र को अधिकार प्रदान किया है। यद्यपि सिद्धान्ततः भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, तथापि व्यावहारिक रूप में उसकी आत्मा एकात्मक है, क्योंकि यहाँ केन्द्र को शक्तिशाली बनाया गया है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना है। संविधान निर्माण के समय भारतीय जनता की स्थिति को देखते हुए न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था, क्योंकि ऐसा न होने से लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। भारतीय संविधान सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है जिस के शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय देश के समस्त न्यायालयों, व्यक्तियों, संस्थाओं एवं सरकारों के ऊपर बाध्यकारी होते हैं। जनता को समान न्याय देने के लिए न्यायपालिका का कार्य कारिणी के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की आधारशिला है।

मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य

बच्चों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों का समावेश किया

गया है। मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा हमें अमेरिकी संविधान से मिली। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं की सबसे बुनियादी मांग यह थी कि लोगों को स्वतंत्रता समानता आदि के कुछ मूलभूत मानव अधिकार मिले। संविधान राज्य द्वारा ऐसी विधि बनाये जाने का निषेध करता है जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। यदि राज्य ऐसा विधि बनाता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान द्वारा इस प्रकार के 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब सम्पति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके साथ ही भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख कर दिया गया हे। संविधान के अधीन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे तथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। प्रत्येक नागरिक को इन कर्तव्यों को शिराधार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व

बच्चों, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का परम कर्तव्य है। राज्य के नीति निदेशक तत्व का मुख्य लक्ष्य लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया है। इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है।

वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार

हमारे संविधान में वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना की गई है। संविधान में कहीं भी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, क्षेत्र, भाषा एवं व्यवसाय आदि के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी भारतीय नागरिक, जिन्होंने भारतीय संसद द्वारा निर्धारित व्यस्कता की उम्र सीमापूरी की है, मताधिकार प्राप्त है। वयस्कता की उम्र पहले 21 वर्ष थी, परन्तु 1989 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

एकल नागरिकता

बच्चों हमारे देश में संघीय प्रणाली होते हुए भी एकल नागरिकता की ही व्यवस्था है। भारत का कोई भी निवासी चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म या सम्प्रदाय को मानने वाला हो किसी भी भाषा अथवा क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है भारत का नागरिक है। भारत में अखंडता के साथ-साथ मौलिक एकता पर जोर दिया गया है। इसलिए एकल नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमारे संविधान में हिन्दी की देवनागरी लिपि को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है।

बच्चों अभी तक हमने भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, इसके दर्शन एवं इसकी विशेषताओं को समझा। परंतु संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। इसलिए समय-समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय-समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को **संविधान संशोधन** कहते है।

संविधान हमारे लोगों की सोच, मनोभाव और प्रगतिशीलता की अभिव्यक्ति है। राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा मानव का सर्वांगीण विकास इस की परिवर्तनशीलता का प्रेरक तत्व है।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

1. सम्प्रभुता
2. विशालतम लिखित संविधान
3. लोकतांत्रिक गणराज्य
4. समाजवादी राज्य
5. धर्मनिरपेक्षता

6.	संसदीय शासन प्रणाली
7.	संघीय शासन प्रणाली
8.	न्यायपालिका की स्वतंत्रता
9.	मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य
10.	राज्य के नीति निदेशक तत्व
11.	वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार
12.	एकल नागरिकता
13.	एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था

शब्दावली

संविधान : देश को सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं।

धारा : किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, अनुच्छेद।

संविधान सभा: जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है।

संविधान संशोधन : देश की सर्वोच्च संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव।

प्रारूप : किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप।

दर्शन : किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार।

प्रस्तावना : संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढ़ंग से कहता है।

रंगभेद : दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली–अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था।

देशद्रोह : देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध।

प्रश्नावली

1. नीचे कुछ गलत वाक्य है। हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें।

(क) स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था।

(ख) भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हरेक बात पर सहमत थे।

(ग) जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी।

(घ) संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।

2. दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन-सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था

(क) दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का

(ख) स्त्रियों और पुरूषों का

(ग) गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का

(घ) रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का।

3. लोकतांत्रिक संविधान में कौन-सा प्रावधान नहीं रहता?

(क) शासन प्रमुख के अधिकार

(ख) शासन प्रमुख का नाम

(ग) विधायिका के अधिकार

(घ) देश का नाम

4. संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएँ

(क) मोतीलाल नेहरू	1. संविधान सभा के अध्यक्ष
(ख) बी.आर.अंबेडकर	2. संविधान सभा की सदस्य
(ग) राजेन्द्र प्रसाद	3. प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष
(घ) सरोजनी नायडू	4. 1928 में भारत का संविधान बनाया

5. जवाहर लाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण केआधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें:

(क) नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है?

(ख) नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं?

(ग) वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे?

6. हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं। इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए।

(क) संप्रभु 1. सरकार किसी धर्म के निदेशों के अनुसार काम नहीं करेगी।

(ख) गणतंत्र 2. फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है।

(ग) बंधुत्व 3. शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।

(घ) धर्मनिरपेक्ष 4. लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।

7. कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनैतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनैतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिये जा सकते हैं। अन्य पार्टियाँ नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें

8. भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग-अलग विचार इस प्रकार है। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं?

(क) अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया।

(ख) हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह-तरह की आजादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था।

(ग) हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नवस्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

9. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण बताइए।**

(क) संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है।

(ख) संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अर्थों का गठन किस तरह होगा।

(ग) नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है।

(घ) संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है।

10. **भारतीय संविधान का विश्व के दूसरे देशों के संविधान से तुलना करें।**

11. **निम्नलिखित कथनों पर विचार किजीए। क्या आप उसे सहमत हैं? अपनेकारण को बताइए।**

(क) भारत एक हिन्दू बहुल राष्ट्र है, इस कारण हिन्दूओं को विशेषाधिकार प्राप्त है।

(ख) भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है।

(ग) नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

(घ) कानून के समक्ष सभी लोग समान है। क्या वासतव में ऐसी स्थिति है।

12. **भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएँ नहीं हैं-**

(क) विशालतम और व्यापक संविधान (ख) धर्मनिरपेक्षता

(ग) मूल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य (घ) साम्यवादी शासन

भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के कौन-कौन से नेता सक्रिय थे? इनकी पहचान करें तथा इनके बारे में सूचना एकत्र करें।

आइए अखबार पढ़ें-संविधान संशोधन के किसी प्रस्ताव या किसी संशोधन की माँग से संबंधित अखबारी खबरों को ध्यान से पढ़िए। आप किसी एक विषय पर, जैसे संसद/विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण विषय पर छपी खबरों पर गौर कर सकते हैं। क्या इस सवाल पर कोई सार्वजनिक चर्चा हुई थी?

संशोधन के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिए गए हैं? संविधान संशोधन परविभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या यह संशोधन हो गया है?

अध्याय -4

चुनावी राजनीति

परिचय

पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में लोगों का सीधे तौर पर शासन करना संभव नहीं है। आज के समय में लोकतंत्र का प्रचलित एवं व्यावहारिक स्वरूप लोगों (जनता) द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होता है। इसकी शुरूआत हम इस समझ से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी हैं और कितना उपयोगी है? चुनावों को समझने के क्रम में हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा किस हद तक जनमत निर्माण में लाभ पहुंचाती है। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक चुनावों के अंतर को समझने के लिए हम उन कारक तत्वों को भी ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे, जिनके आधार पर हम कह सकें कि यह चुनाव लोकतांत्रिक है।

इस अध्याय के अगले हिस्से में भारत में हम चुनाव-प्रक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात् चुनाव क्षेत्र के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक की प्रक्रिया। इस क्रम में हम इस सवाल पर विचार करते जायेंगे कि भारत में जो चुनाव सम्पन्न कराये जाते हैं वे कितने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं? लोगों का इन चुनावों के बारे में क्या ख्याल है? अंत में हम निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार करेंगे और चुनाव सुधार के लिए उठाये जा रहे कदमों पर भी गौर करेंगे।

4.1 चुनाव की जरूरत क्यों है?

लोकतंत्र में एक नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। पिछले अध्याय में से हम जान चुके हैं कि दुनिया के लगभग सौ से अधिक देशों में जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव का सहारा लिया जाता है। मजेदार बात यह है किजो देश लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ भी चुनाव होते हैं। प्रश्न है कि चुनावों की जरूरत क्यों होती है? चुनावों की छतरी के नीचे क्यों लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक देश खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं चुनाव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आइये हम पहले बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें और सोचें कि अगर सारे लोग एक साथ प्रतिदिन बैठें और मिलजुल कर फैसले करें तब बिना चुनाव के भी शासन करना संभव है? लेकिन यह एक छोटे समूह अथवा समुदाय के लिए ही संभव है। किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि व्यवहार में बड़े समुदाय को न तो हम एकत्रित कर पायेंगे और न ही कोई सर्वसम्मत फैसला ही ले पायेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए ही अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं।

आइये, हम सोचें कि क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढ़ंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? इसके लिए हम ऐसे स्थान की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों के चुनाव का आधार उम्र तथा अनुभव है अथवा शिक्षा और ज्ञान है? इस हालत में यह पता लगाना कठिन होगा कि किसे ज्यादा अनुभव अथवा ज्ञान है। थोड़ी देर के लिए लोग मिलजुलकर इन परेशानियों को दूर कर लें, तब चुनाव की जरूरत नहीं रह जायेगी।

प्रश्न है कि क्या हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह कैसे तय करेंगे कि प्रतिनिधि, लोगों के अनुरूप ही शासन करें? साथ ही जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद नहीं हों, वे अपने पद पर बने रहें। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए आज के समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना गया है।

चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार

यह तय है कि चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं। यहाँ तक कि अधिकांश गैर–लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के

चुनाव होते हैं। ऐसे में कौन चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? आइए, हम लोकतांत्रिक चुनावों के लिए कुछ जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरूआत करें–

पहला, हर किसी को मत देने का अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मान हो।

दूसरा, चुनाव में विकल्प की गुंजाइश हो। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें।

तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे।

चौथा, लोग जिसे चाहें, वास्तव में चुनाव उसी का हो।

पाँचवाँ, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढ़ंग से सम्पन्न हों ताकि लोग अपनी इच्छा से उम्मीदवार का चुनाव कर सकें।

ये शर्तें बहुत सरल लग सकती हैं। लेकिन दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन न्यूनतम शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। आइये, हम उन शर्तों को अपने देश के चुनावों पर लागू करके देखें, और जाँचने का प्रयास करें कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं?

चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का औचित्य

चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्धा है। यह प्रतिस्पर्धा कई रूपों में हमें दिखाई देती है। इसका सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा का हो जाता है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जायेंगे। आइये, विचार करें कि यह प्रतिस्पर्धा कितने मुद्दों के आधार पर होती है और कितना व्यक्ति आधारित।

इस बात पर भी गौर करें, क्या राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का होना लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। इस चुनावी प्रतिस्पर्धा के स्पष्ट नुकसान भी दिखते हैं। हर गाँव–घर में बँटवारे जैसी ही स्थिति पैदा हो जाती है। लोग आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं हैं कि 'पार्टी–पॉलिटिक्स' ने हमारे घरों को बाँट दिया है। विभिन्न दलों के लोग और नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। चुनाव जीतने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के इस होड़ में सही किस्म की राजनीति

बलि चढ़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कई अच्छे लोग जो देश एवं समाज की राजनीति में सेवा भावना से आना चाहते हैं, उन्हें घोर निराशा होती है।

हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं से भलिभांति परिचित थे। फिर उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में यह स्वतंत्र चुनावी मुकाबला धीरे-धीरे बेहतर होता जायेगा। इस दिशा में कुछ सुधार भी हुए भी है। लेकिन इसे संतोष प्रद नहीं कहा जा सकता है।

ऐसे में हम इन सच्चाईयों का सामना कैसे कर सके हैं, एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान एवं चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है और दूसरा ज्यादा व्यावहारिक तरीका यह हो सकता है कि हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा नही करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? जाहिर है कि इसे आम लोग करते हैं। चुनावी प्रतिस्पर्धा का यही वास्तविक अर्थ है। नियमित अंतराल पर चुनावी मुकाबलों का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। इस बीच उन्हें पता होता है कि अगर हमने लोगों की समस्याओं के समाधान में रूचि नहीं दिखाई तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और लोग उन्हें पराजित कर देंगे। कभी-कभी ऐसा भी होता है लोग सार्वजनिक समस्या की जगह निजी समस्याओं को महत्व देते हैं। नतीजा यह होता है कि इस भ्रम में वैसे राजनेता फिर से चुनाव जीत जाते हैं जो आम समस्या से अधिक व्यक्तियों को खुश रखने में विश्वास रखते हैं।

यह सच है कि आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में आने की इच्छा होती है और उसे दिखावे के लिए ही सही जनता की सेवा करनी ही पड़ती है। उन्हें इस होड़ में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी हितकर है।

इनमें से कौन-सा कार्टून आपके अपने इलाके की असलियत के करीब है। कार्टून क्या संदेश देता है, इसे अपने शब्दों में लिखें मतदाता और उम्मीदवार के बीच के संबंधों पर चुनाव का असर बताने वाला कार्टून खुद बनाने का प्रयास करें।

4.2 भारत में चुनाव प्रणाली

यहाँ तक आते-आते हम जान चुके हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भी नियमित चुनाव होते हैं, जिसे हमने देखा और सुना है। अब समझने वाला सवाल यह

है कि क्या हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइये देखें भारत में चुनाव किस प्रकार होते हैं। अपने देश में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं। जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। अर्थात् प्रत्येक पाँच वर्षों बाद लोकसभा और विधान सभाएँ भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार किसी क्षेत्र विशेष में चुनाव होता है, जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुआ होता है। इसे **उपचुनाव** कहते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई सरकार अल्पमत होने के कारण लोकसभा या किसी विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने में विफल हो जाती है, तो वैसी स्थिति मध्यावधि चुनाव होता है, तब यह मध्यावधि चुनाव आम चुनाव बन जाता है। इस अध्याय में हम आम चुनाव की चर्चा करेंगे।

निर्वाचन क्षेत्र

आरा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं?

संदेश विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत है?

पता लगायें कि आपके लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं?

सन् 2005 में बिहार के लोगों ने पूरे राज्य से 243 विधायकों का चुनाव किया था। आपके यहाँ के लोग भी किसी को विधायक बनाए होंगे। क्या बिहार के हर व्यक्ति ने सभी 243 विधायकों को चुनने के लिए वोट दिया होगा? शायद आपको मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। ऐसा संभव भी प्रतीत नहीं होता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को जनसंख्या के हिसाब से कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जिस प्रकार बिहार को विधायक चुनने के लिए 243 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। लोकसभा क्षेत्र से चुने गये प्रतिनिधियों को संसद सदस्य या सांसद कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की यह विशेषता है कि हर वोट का मूल्य बराबर होता है। अर्थात् भारत के राष्ट्रपति और एक साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य एक होता है, साथ ही निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के लिए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को आधार बनाया जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी निर्धारित विधानसभा के सीटों के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन सीटों से चुने गये प्रतिनिधियों को **विधायक** अथवा **एम.एल.ए.** कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों से काफी बड़े होते हैं। हम यह भी यह सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में कई विधान सभा क्षेत्र होते हैं।

पंचायतों नगरनिगमों और नगरपालिकाओं के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इन्हें भी छोटे–छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। नाम में समानता से भ्रम नहीं पैदा हो इसलिए इन्हें **'वार्ड'** कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है जिन्हें **वार्ड पार्षद** कहते हैं। आम बोल चाल की भाषा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए **'सीट'** कहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र किसी खास सीट का प्रतिनिधित्व करता है।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता इस बात से चिंतित थे कि इस खुले मुकाबले में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर समूहों के लिए लोकसभा एवं विधान सभाओं में शायद नहीं पहुंच पायें। ऐसा इसलिए कि उनके पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी

संसाधन, शिक्षा एवं संपर्क नहीं हों। यह भी संभव है कि संसाधन सम्पन्न एवं प्रभाशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद एवं विधानसभाओं में एक बड़ी आबादी की आवाज पहुंच नहीं पायेगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का स्वरूप कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी।

इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित क्षेत्र की विशेष व्यवस्था करने की बात सोची। इसीलिए लोकसभा और विधानसभाओं में कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जन जातियों के लिए। ऐसा होने का मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। अभी लोकसभा में 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार विधानसभा की 37 सीटें अनुसूचित जातियों के आरक्षित हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में अनुसूचित जातियों की आबादी नहीं रहनेके कारण अब कोई भी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है।

कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था अनेक राज्यों में अब पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं नगरनिगमों पर भी लागू हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं को कमजोर समूह का हिस्सा मानते हुए उनके लिए आधी सीटें आरक्षित कर दिया है। इन आधी सीटों में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर सिर्फ महिलाएँ चुनाव लड़ सकती है। इनमें सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की सीटों के लिए उसी समूह की महिलाएँ चुनाव में उम्मीदवार हो सकती है।

क्या बिहार की तरह अन्य राज्य भी महिलाओंके लिए आधी सीटें आरक्षित कर सकते हैं?

क्या लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित नहीं हो सकती है?

मतदाता सूची

निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण के बाद यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और इसे सर्वसुलभ बना दिया जाता है। इस सूची को आधिकारिक रूप से **मतदाता सूची** कहते हैं। प्रचलित की भाषा में इसे **'वोटर लिस्ट'** भी कहते हैं। मतदाता सूची का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बिना चुनाव संभव नहीं है। पिछले अध्याय में हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में जाना है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हर किसी को मत देने का अधिकार है और हर किसी के मत का मान बराबर है। जब तक कोई ठोस कारण नहीं हो किसी को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

भारतवर्ष में 18 वर्ष और उससे ऊपर उम्र के सभी नागरिकों को वयस्क माना जाता है। वयस्क होने के नाते उन्हें मत देने का अधिकार हैं। वयस्क मताधिकार के लिए नागरिकों की जाति धर्म, सम्प्रदाय, अमीर, गरीब और शिक्षा ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ 18 वर्ष और उससे उपर की उम्र को देखा जाता है। लेकिन, संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि ठोस प्रमाण के आधार पर अपराधियों एवं दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित भीकिया जा सकता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, इसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर साल नये लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, कुछ लोग इलाका छोड़ देते हैं, कुछ लोगों की मौत हो जाती है, तो वैसी स्थिति में हर चुनाव के पूर्व मतदाता सूची में सुधार का काम सरकार द्वारा कराया जाता है। हर पाँच वर्ष में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की गई। सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र के कार्ड के उपलब्ध कराने का काम जारी है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी को मताधिकार से वंचित नहीं कर दे और सही व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए उन्हें वोट देने के समय अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। अब तो मतदाता सूची में भी मतदाता के फोटो को अंकित करने का काम जारी है। लेकिन, यह सच है कि अभी सभी मतदाताओं को उन्हें फोटो पहचान पत्र नहीं मिल पाया है, अतः वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहचान के तौर पर 14 अन्य पहचानों को भी वैध माना है। जैसे मतदाता का राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

Elector's Name : SARSWATI DEVI
निर्वाचक का नाम : सरस्वती देवी
Father/Mother/Husband's Name : ALAKHNARAYAN SINGH
पिता/माता/पति का नाम : अलखनारायण सिंह
Sex / लिंग : Female / स्त्री
Age as on 1.1.1994 : 58 Years
१.१.१९९४ को आयु : 58 वर्ष

Address : H.NO. 32A,
WARD NO. 20,
MAHENDRU, DISTT. PATNA

पता : मकान 32A,
वार्ड नं. 20,
महेन्द्रु, जिला पटना

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 207-PATNA CENTRAL Constituency

207—पटना केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र
के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति

Place : PATNA SADAR
स्थान : पटना सदर

This card may be used as an Identity Card
under different Government Schemes.
इस पत्र का विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत
पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

फोटो पहचान पत्र का नमूना

निर्वाचक सूची का पहला पन्ना

निर्वाचक सूची 2004, (SO4) बिहार

विधान सभा क्षेत्र : संख्या संदेश भाग संख्या-40 नाम व आरक्षण स्थिति :		
1. पुनरीक्षण का विवरण पुनरीक्षण का वर्ष : 2004 पुनरीक्षण का स्वरूप : संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता की तिथि: 01.01.2004 निर्वाचक नामावली लागू होने की तिथि : 28.02.2004		
2. भाग व मतदान क्षेत्र विवरण		
मतदान क्षेत्र का विस्तार : एकौना		मुख्य ग्राम/शहर का नाम : एकौना डाकघर : एकौना थाना : उदवंतनगर राजस्व हल्का : पंचायत : एकौना अंचल : उदवंतनगर अनुमंडल : आरा सदर जिला : भोजपुर
मतदान क्षेत्र का वर्गीकरण : ग्रामीण	इस मतदान क्षेत्र के सहायक (ऑक्जिलियरी) मतदान केन्द्रों की संख्या :	

राज्य कोड व नाम- SO4 बिहार 12-संदेश

भाग संख्या 40			भाग संख्या 40				
क्रम संख्या	मकान/फ्लैट संख्या	मतदाता का नाम	संबंध	संबंधी का नाम	लिंग	आयु	पहचान पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रभाग : एकौना							
1	1	श्रीमती नीलम देवी	प	राजकुमार झा	पु	48	
2	2	संजीव कुमार झा	पि	राजकुमार झा	म	26	
3	2	गीना झा	प	संजीव कुमार झा	पु	22	
4	2	प्रितू ठाकुर	प	पंकज ठाकुर	म	22	
5	3	उज्जवल	पि	संजीव कुमार झा	पु	19	BCS1360320
6	4	विपिन बैठा	पि	मोहित बैठा	पु	32	BCS1360340
7	4	रंजीत राम	पि	सुधीर राम	पु	35	
8	4	मुकुन्द शर्मा	पि	अरविन्द शर्मा	पु	33	
9	4	रागिणी शर्मा	प	मुकुन्द शर्मा	म	28	
10	4	प्रिया वर्मा	प	संजीव कुमार	म	22	

उम्मीदवारों का नामांकन

यहाँ तक आते–आते हमने अनुभव किया कि लोकतांत्रिक चुनावों मतदाताओं को विकल्प चुनने की सुविधा होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब चुनाव में किसी प्रकार की रोक नहीं हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी सुविधा प्रदान करती है। कहने का मतलब यह कि कोई भी मतदाता उम्मीदवार हो सकता है। मतदाता से उम्मीदवार बनने में सिर्फ उम्र सीमा का फर्क है। जहाँ मतदाता होने के लिए 18 वर्ष वहीं उम्मीदवार होने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम अहर्ता होनी चाहिए। हालाँकि अपराधियों को उम्मीदवार होने पर सीमित पाबंदी है। सीमित पाबंदी इसलिए है कि अपराधी न्यायालय के अंतिम फैसले के इंतजार के चलते बच जाते हैं

चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हैं और अपना चिन्ह एवं समर्थन देते हैं। राजनीतिक दल द्वारा मनोनयन को बोलचाल की भाषा में **'टिकट'** कहते हैं।

चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को **'नामांकन पत्र'** भरना पड़ता है। इसके साथ जमानत के रूप में कुछ रकम जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रत्येक उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्योरा देते हुए घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं–

- उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले
- उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की सम्पति और सभी देनदारियों का ब्यौरा
- उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता से जुड़े सवाल

- जब देश के सभी व्यवसायों/नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता आवश्यक है तो विधायकों, संसद सदस्यों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए क्यों नहीं है?
- देश में यदि इनके लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो जायेगी तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अधिसंख्य लोग अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जायेंगे वंचित, ऐसा इसलिए, लगभग आधी आबादी निरक्षर है।

चुनाव अभियान

चुनाव का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। सरकार बनाने में सहभागी बन सकें। इसके लिए जरूरी है कि लोग जाने कि कौन प्रतिनिधि बेहतर है, देखती है कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या किसकी नीति कल्याणकारी है।

चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दल एवं मतदाता स्वतंत्र एवं खुली चर्चा में शामिल होते हैं।

अपने देश में चुनाव प्रचार के लिए आमतौर पर दो सप्ताह का समय दिया जाता है। यह समय चुनाव अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची और मतदान के तिथि के बीच का होता है। इस अंतराल में उम्मीदवार लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हैं, छोटी-बड़ी सभाएँ करते हैं, अखबारों एवं टी.वी.चैनलों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करते है।

चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक दल किसी-न-किसी मोहक नारे द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं। 1971 में कांग्रेस पार्टी ने **'गरीबी हटाओ'** का नारा दिया था। 1977 में जनता पार्टी ने देशभर में **'लोकतंत्र बचाओ'** का नारादिया था। प0 बंगाल में विधान सभा चुनाव में **'जमीन जोतने वाले के हक का'** का नारा दिया गया था। 1983 में आंध्रप्रदेश में **'तेलगू स्वाभिमान'** का और 2000 में **'झारखंड बनाओ'** नारा दिया गया था।

लोकतंत्र में राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिलना भी आवश्यक है। इसलिए चुनाव कानूनों में कतिपय कठोर प्रावधान निर्धारित हैं। कोई उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकतीं–

- मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना
- चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना।
- लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रूपये से ज्यादा खर्च करना।

अगर कोई उम्मीदवार इनमें से किसी मामले में दोषी पाए जायेंगे तो उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है इन कानूनों के अतिरिक्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में **'आदर्श–आचार संहिता'** को भी स्वीकार करना होता है जो निम्नलिखित है –

- चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म अथवा धर्मस्थल का उपयोग नहीं करना
- सरकारी वाहन, विमान अथवा सरकारी कर्मियों का चुनाव में उपभोग नहीं करना
- चुनाव की अधिसूचना के बाद सरकार के द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास अथवा कोई नीतिगत फैसला अथवा लोगों को सुविधाएँ देने वाले वायदे नहीं किये जा सकते हैं।

मतदान और मतगणना

चुनाव अभियान के आखिरी चरण में मतदान होता है। मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अपना मतदान करते हैं। मतदान की तिथि के साथ मतदान केन्द्र भी सुनिश्चित रहता है। इसके लिए समय सीमा भी पूर्व में घोषित कर दी जाती है। मतदान केन्द्र के लिए किसी सरकारी अथवा किसी सार्वजनिक स्थल व भवन का चुनाव किया जाता है। मतदान केन्द्र पर चुनाव को सम्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा एक पीठासीन पदाधिकारी और अन्य मतदान पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। अब मतदाता मतदान केन्द्र पर

जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक अमिट स्याही लगा देता है ताकि वह दुबारा न आ सके। मतदाताओं की पहचान के लिए विभिन्न उम्मीदवारों की ओर से एजेंट भी होते हैं।

मतदाताओं को मत देने के लिए एक मत–पत्र दिया जाता है जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम के साथ चुनाव चिन्ह भी अंकित रहता हैं जिस पर वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना मोहर लगाते हैं। अब मतदान को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने रहते हैं मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होते है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है।

मतदान की समाप्ति के पश्चात सभी बैलेट बॉक्सों अथवा वोटिंग मशीनों को सीलबंद कर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। फिर एक निश्चित एवं घोषित तारीख को मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेन्ट रहते हैं ताकि मतगणना की निष्पक्षता बरकरार रहे। सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ ही मतगणना का कार्य होता हैं अत: अखबारों एवं टी.वी. चैनलों के माध्यम से तमाम चुनाव परिणाम तत्काल उपलब्ध हो जाता है।

4.3 भारत में चुनाव कितना लोकतांत्रिक?

चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अखबारों एवं टी.वी. चैनलों से खबरें मिलती हैं कि इसबार अमुक–क्षेत्र या पूरे चुनाव में व्यापक धांधलियां हुई। कुछ गड़बड़ियों को मीडिया खुद हासिल करती है तो कुछ के बारे में राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज कराये जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है–

- मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और वास्तविक नामों को गायब करने का मामला।
- सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरूपयोग की।
- मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना
- मतदान पूर्व की रात में मतदाताओं के बीच जाति व धर्म के नाम पर अफवाहें फैलाना ओर उनके बीच नाजायज धन वितरित करना।

इन खबरों में कुछ हद तक सच्चाई भी है। यह सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वन्दिता का मामला नहीं है। अक्सर सुना जाता है कि इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखना काफी मुश्किल हैं। तो क्या हमें कहना चाहिए कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है? इस सवाल के उत्तर में हमें विचार करना चाहिए कि क्या कोई पार्टी बिना व्यापक जनसमर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? हमें इस सवाल पर भी विचार करना चाहिए चुनाव धांधलियों में लोगों की कितनी तटस्थ भूमिका होती है और कितनी सहभागिता? इस सवाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करना जरूरी है।

स्वतंत्र निर्वाचन आयोग

भारतीय संविधान ने चुनावों की निष्पक्षता की जांच के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया है। जिसे **'भारत निर्वाचन आयोग'** कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि निर्वाचन आयोग का संचालन कौन करता है? क्या इसके संचालक सरकार से अलग अस्तित्व रखते हैं? या फिर सरकार या सत्ताधारी दल का इसपर कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दबाव नहीं होता? क्या उनके पास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते है?

हमारे देश के लिए इन सवालों के जबाब काफी हद तक संतोषप्रद और सकारात्मक हैं। यहाँ चुनाव आयोग को न्यायपालिका के समान आजादी प्राप्त है। इसके मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद पुनः चुनाव आयुक्त भारत के राष्ट्रपति अथवा सरकारी के प्रति जवाबदेह नहीं होता साथ ही इन्हें कार्यकाल के पहले कोई सरकार हटा नहीं सकती है।

दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त हैं। आइये, इसके अधिकारों पर गौर करें–

चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक, यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होता है।

साथ ही, निर्वाचन आयोग एक आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, सरकार एवं उम्मीदवारों एवं पूरी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत उल्लिखित रहते हैं जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशानिर्देशों को मानना सरकार की बाध्यता होती है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतनेके लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग को रोकना या अधिकारियों के तबादला करना भी शामिल है।

चुनाव में तैनात सभी अधिकारी सरकार के नियंत्रण में नहीं होते बल्कि निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं।

पिछले दशक से चुनाव आयोग की हस्तक्षेपकारी भूमिका से लोगों में विश्वास जगा है। बिहार में सन् 2005 के आम चुनावों में चुनाव आयोग काफी सक्रिय था। चुनाव आयोग द्वारा यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव अधिकारी किसी मतदान केन्द्र पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढ़ंग से नहीं होने के पुख्ता प्रमाण देते हैं तो वहाँ पुर्नमतदान होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में **'री पोलिंग'** कहते हैं।

इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव सुधारों के काम में लगा हुआ है और लोगों की कठिनाईयों एवं चुनावी धांधलियों पर नियंत्रण रखने के नये-नये उपाय कर रहा है। अब फोटो पहचान पत्र के अलावे मतदाता सूची मेंभी मतदाताओं के फोटो रहेंगे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं फोटो पहचान पत्र बनाने का कार्य अनवरत चलता रहता है।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं शक्तिशाली नहीं होता तो निश्चय ही चुनाव लोकतांत्रिक ढ़ंग से नही हो पाते ।

निर्वाचन आयोग बिहार विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी की

- चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य
- चुनाव आयोग ने सरकार के मंत्री को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी करार दिया।
- निर्वाचन आयोग ने चुनाव में चुनाव खर्च पर नकेल कसी
- राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर अथवा रोक अधिकार हो: चुनाव आयोग
- चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नजर
- माननीय न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने को कहा
- चुनाव आयोग ने चुनाव के ऐन मौके पर जिले के कलेक्टर, एस.पी. को बदला

इन सुर्खियों पर गौर करें और पता करें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग किन-किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा?

चुनाव में लोगों की भागीदारी

चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को जाँचने का एक तरीका यह भी है कि हम बात पर गौर करें कि लोग इस महत्वपूर्ण कार्य में कितने उत्साह से उसमें भागीदारी करते हैं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी तो निश्चित तौरपर लोगों की भागीदारी होगी।

चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना अक्सर मतदान करने वालों के आंकड़ों को बनाया जाता है। यह पैमाना वास्तविकता की दृष्टि से सही है। इससे इस बात का अंदाजा तो मिल ही जाता कि मतदान की योग्यता रखनेवाले कितने मतदाताओं ने वास्तव

में मतदान किया। यह सच है कि पिछले 50 वर्षों में जहाँ यूरोप, उत्तरी अमरीका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, वहीं भारत में यह या तो स्थिर रहा है अथवा उपर गया है।

ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि भारत में अमीर एवं बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोगों ने अधिक संख्या में मतदान करते हैं। अमरीका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग अमीर एवं श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं।

यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या भारत में गरीब, निरक्षर एवं कमजोर लोग सही मायने में मतदान में अभिरूचि दिखाते हैं और मतदान करते हैं? क्या यह अभिरूचि उनकी शासन में भागीदार बनने की है? क्या अमीर एवं बड़े लोगों में शासन में भागीदारी की स्वाभाविक अनिच्छा होती है?

हमें इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने के पश्चात् ही लोगों की भागीदारी का मूल्यांकन करना चाहिए।

आइये, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 के निष्कर्षों को देखें जिसमें लोगों से पूछा गया है कि आपके वोट से कितना फर्क पड़ता है?

चुनाव संबंधी गतिविधियों में भाग लेने वालों के प्रतिशत को देखें तो उसके प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है।

चुनावी नतीजों को स्वीकार करने की बाध्यता

चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे है। अगर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होंगे तो नतीजे हमेशा ताकतवर जमात के पक्ष में होंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अक्सर सत्ता में रही सरकार हारती भीहै। निवर्तमान सांसद एवं विधायक चुनाव हारते भी हैं। वोट को खरीदने में सक्षम प्रत्याशी हों अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी उनका चुनाव हारना बहुत आम है।

निष्कर्षतः चुनाव के नतीजों को स्वीकार करना हर किसी की संवैधानिक बाध्यता है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम इस सरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव संवैधानिक दृष्टि से स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना होता है कि जो पार्टी चुनाव जीत कर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। संभव है कि कुछ उम्मीदवार गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, लेकिन चुनाव का कुल नतीजा लोगों की इच्छा को ही प्रतिबिंबित करता है।

यहाँ तक आते-आते हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल पैदा होते हैं जो चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं-

- क्या मतदाताओं के पास सही एवं स्वस्थ विकल्प होता है, जिसके आधार पर वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें?
- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों से टिकट पाने में सक्षम हो जाते हैं?
- अलग-अलग पार्टियों में कुछेक में परिवारवाद हावी रहता है और वे टिकट पाने में समर्थ हो जाते हैं?
- बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। उसके अतिरिक्त भी चुनौतियाँ हो सकती है।

जाहिर सी बात है कि सिर्फ निर्वाचन आयोग के प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। लोगों की जागरूकता और समझदारी भी जरूरी है। आम नागरिकों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों को भी इसपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह सच है कि ऐसी चुनौतियाँ सिर्फ भारत की नहीं है। दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में कमोवेश ऐसी स्थितियाँ बरकरार है।

क्या आपके पास चुनाव सुधार के कोई ठोस सुझाव है? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है?

शब्दावली

भारत निर्वाचन आयोग–भारत में संसद और विधानमंडल के चुनाव कराने वाली एक स्वतंत्र इकाई, जिसे भारत के संविधान द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

निर्वाचन क्षेत्र–एक खास भौगोलिक क्षेत्र जहाँ से मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

आदर्श चुनाव आचार संहिता–चुनाव की अधिसूचना के पश्चात् पार्टियाँ और उम्मीदवारों द्वारा अनिवार्य रूप से माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश।

चुनाव चिन्ह–मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कोई निर्दिष्ट चुनाव चिन्ह नहीं होता वरन् विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित चिन्ह को चुनाव चिन्ह कहते हैं।

प्रश्नावली :

1. **चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन-सा वाक्य सही नहीं है?**

   (क) लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं।

   (ख) चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने काअवसर प्रदान करता है।

   (ग) चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदानकरता है।

   (घ) चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदानकरता है।

2. **भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्यउपर्युक्त कारण नहीं देता?**

   (क) भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं?

   (ख) भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है

   (ग) भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है।

   (घ) भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियाँ जनादेश को स्वीकार कर लेतीहै।

3. **निम्नलिखित में मेल ढूंढें।**

(क) सार्वभौम वयस्क मताधिकार	(1) हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता
(ख) कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व	(2) 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी मताधिकार
(ग) खुली राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता	(3) सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी
(घ) एक मत, एक मोल	(4) अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण

4. **इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इसे चुनाव में पहले से लेकर आखिर तक के क्रम में सजायें।**

वोटों की गिनती, मतदाता सूची का निर्माण, चुनाव परिणाम, नामांकन-पत्र दाखिल करना, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान

5. **चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत हैं?**

(क) फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान हो।

(ख) चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरूपयोग पर रोक लगाना।

(ग) चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए।

(घ) चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ-साथ मतदान अधिकारियों की भी सुरक्षा करे।

6. **इस अध्याय से प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित राय के पक्ष में दो तथ्य प्रस्तुत कीजिए।**

(क) सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है।

(ख) चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हों इसके लिए जनता की भागीदार होनी चाहिए।

(ग) चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है।

(घ) हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबर्दस्त भागीदारी होती है।

7. श्यामलाल को एक आपाराधिक मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलती है। मोहनलाल को अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के जुर्म में दोषी पाया है। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नही दिया है। क्या फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

8. वीरा सिंह एवं सैफुददीन ऐसे उम्मीदवार हैं, जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद है। न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने से उसकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए-

(क) उसे चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए?

(ख) उसकी अपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए?

(ग) चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने देना चाहिए?

(घ) (1) अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है?

(2) अगर नहीं तो उसे क्यों सदन की कार्रवाई में शामिल होने का मौका दिया जाता है

(3) अगर यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है तो इस संबंध में आपकी राय क्या है?

अध्याय -5

संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ

परिचय

जैसा कि हम पिछले अध्याय में देखा है लोकतंत्र में जनता की इच्छा की पूर्ति उनके प्रतिनिधि द्वारा पूरे किये जाते है। हमने यह भी देखा है कि जब भी प्रतिनिधि संस्थान जनता के ईच्छा के विरूद्ध कार्य करती है, वह लोकतंत्र से भटक जाती है। जनता में असंतोष एवं विरोध जागृत होना शुरू हो जाता है। यह विरोध तबतक चलती रहती है जब तक ये प्रतिनिधि संस्थायें एवं शासन चलाने वाले अभिकरण पुनः जनता के हित में शासन चलाना शुरू नहीं कर दे।

इस प्रकार हम यहाँ इस पड़ाव पर पहुँच चुके हैं कि अब हम जाने की जनता के हित में ये लोकतंत्र की संस्थायें किस प्रकार कार्य करती है। यहाँ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके इसे लागू किया जाता है। किस अभिकरण द्वारा इस प्रकार के फैसले को मूर्त रूप दिया जाता है। इसे मूर्त रूप देने की कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है। विवादित होने पर किस प्रकार विवाद को सुलझाया जाता है।

जहाँ तक निर्णय लेने का प्रश्न है वहाँ यह कहा जा सकता है कि जो तीन **सबसे** महत्वपूर्ण संस्थायें हैं, वे हैं **विधायिका, कार्यपालिका** और **न्यायपालिका।** यही इस अध्याय का केन्द्रविन्दु है।

हालाँकि पूर्व की कक्षाओं में इस संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं फिर भी हम यहाँ इसका संक्षिप्त परिचय देते हुए इस संस्थाओं के कार्यकारी पक्ष से सम्बन्धित प्रश्नों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह संस्थान किस प्रकार कार्य करती है? इनसे जुड़ी संस्थाएं आपस में कैसे ताल-मेल कर पाती है। किस प्रकार ये संस्थायें लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवरण के नीचे किए गए कार्य को मुर्त रूप देती है। हम इनकी कार्यकारी पहलू तथा संस्थागत ढ़ांचा की तुलना विश्व के अन्य संस्थाओं से करते हुए विषय को स्पष्ट करने हेतु राष्ट्रीय और स्थानीय उदाहरणों का सहारा लेंगे।

लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्थाएँ

बच्चों! तुम्हें पता है कि लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंगों यथा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा ही शासन के सम्पूर्ण कार्यों का संचालन एवं दायित्व को पूरा किया जाता है। परन्तु शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका द्वारा ही होता है।

बच्चो, तुम्हें यह भी पता है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। अतएव यहाँ संघीय स्तर और राज्य स्तर पर सरकार संविधान के अनुकूल कार्य करती हैं। अतएव, संघ के स्तर पर केन्द्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार शासन के दायित्व को निभाती है;नीति निर्धारण करती है और निर्णय एवं फैसले लेती है। केन्द्रीय सरकार सर्वदेशीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेती है जबकि राज्य की सरकार स्थानीय महत्त्व के विषयों पर निर्णय लेती ही है।

अब हम यहाँ केन्द्रीय सरकार के स्वरूप और निर्णय प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कोशिश करेंगे कि सरकार की व्यावहारिक कार्य-पद्धति को जानें।

संसद

राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पद की शपथ दिलाते हुए

केन्द्र सरकार के कार्य पद्धति को स्पष्ट करने हेतु यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है। इससे उसके निर्णय की व्यावहारिक प्रक्रिया का पता चल जाएगा।

केन्द्र सरकार के कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 1990 ई० को संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से एक आदेश निर्गत हुआ। आदेश मात्र एक पन्ने की थी जो इस प्रकार था–

G.I. Dept. of Per. & Tr., O.M. No. 36012/31/90-Est. (SCT),dated 13.8.1990

SUBJECT : 27 % Reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts/Services.

In a multiple undulating society like ours, early achieve-ment of the objective of social justice as enshrined in the Consti-tution is a must. The Second Backward Classes Commission,Called the MANDAL COMMISSION, was established by the then Government with this purpose in view, whioch submitted its re-port to the Government of India on 31st December, 1980.

2. Government have carefully considered the report and the recommendations of the Commission in the present context regarding the benefits to be extended to the socially and educa-tionally backward classes as opined by the Commission and areof the clear view that at the outset certain weightage has to beprovided to such classes in the services of the Union and their Pulic Undertakings. Accordingly orders are issued as follows:

(i) 27% of the vacancies in civil posts and services under the Government of India shall be reserved for SEBC;

G.I. Dept. of Per. & Tr., O.M. No. 36012/31/90-Est. (SCT),dated 8.9.1993

Subject : Reservation for Other Backward Classes in Ciovil Polst and Services under the Government of India-Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated the 13th August, 1990and 25th September, 1991, regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services un-der the Government of India and to say that following the Suupreme Court judgment in the Indira Sawhney and other v. Union of India and other case [Writ Petition (Civil) No. 930 of1990], the Government of India appointed an Expert Committeeto recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/sections from the benefits of reservations for Other Back-ward Classes in civil posts and services under the Government of India.

यद्यपि जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत यह सर्कुलर सरकार द्वारा निकलने वाले सैंकड़ों आदेशों में एक है परन्तु इस आदेश का बड़ा महत्त्व है और कई सालों तक यह विवाद में रहा।

आइये देखें! यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह सरकारी आदेश प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी पदों एवं सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित की गईं।

अब हम देखेंगे कि ज्ञापन को किसने जारी किया? उत्तर होगा– मंत्री द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत यह पत्र सचिव का आदेश था। लेकिन ऐसा नहीं है। न तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का मंत्री और न ही पदाधिकारी ने ऐसा निर्णय लिया होगा। बल्कि निर्णय लेने के पहले इसे कई स्तरों से गुजरना पड़ा होगा। भारत सरकार ने सन् 1979 में पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। इसके अध्यक्ष वी.पी. मंडल के 1980 ई॰ की सिफारिश में कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस रिपोर्ट और सिफारिश पर संसद में चर्चाएँ हुई। सांसद और पार्टियाँ इसे लागू करने की माँग करती रही। फिर 1989 ई॰ का लोकसभा चुनाव हुआ और जनता दल के चुनाव घोषणा–पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया गया। चुनाव के बाद जनता दल की सरकार के नेता प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। तब जाकर 6 अगस्त 1990 ई॰ को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। तब जाकर विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक आदेश का मसविदा तैयार किया। मंत्री ने केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस पर स्वीकृति दे दी और मंत्रालय के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से 1990 ई॰ को ओ.एम. नं. 36012/31/90 निर्गत हुआ। हालाँकि देश में इसका काफी विरोध हुआ। पक्ष और विपक्ष में कई आन्दोलन हुए।

निर्णय के विरुद्ध कई अदालतों में मुकदमे दायर किये गये और निर्णय को अवैध घोषित करने की माँग हुई। परन्तु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और मुकदमे को 'इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला'

कहा। सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 1992 ई॰ में बहुमत से फैसला किया और पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को इस आरक्षण से वंचित करते हुए आदेश को वैध ठहराया। उसी के मुताबिक, 8 सितम्बर 1993 ई॰ को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गयाऔर तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है।

बच्चो अभी तक हमने सीखा-

- अकेले कोई एक व्यक्ति किसी बड़े फैसले को नहीं करता।
- आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न संस्थायें होती हैं।
- कोई संस्था तभी काम करती है जब ये संस्थायें अपने कार्य को अच्छी तरह करें।
- प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएँ हैं जो सभी महत्त्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं।
- मंत्रियों द्वारा किये गये फैसले को लागू करने में उपायों के लिए के एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेवार होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है, जहाँ नागरिक और सरकार बीच विवाद अंततः सुलझाये जाते हैं।

उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि-

1. नीतिगत फैसला कार्यपालिका लेती है।

2. नीतिगत फैसले कार्यपालिका जनता के हित में लेती है। कभी-कभी फैसला लेने हेतु कार्यपालिका पर दबाव भी पड़ता है।

3. नीति निर्धारण के क्रम में कार्यपालिका संसद की अनदेखी नहीं कर सकती है।

बच्चों अब हमें तुम्हें यह बतायेंगे कि फैसले लेने वाले कार्यपालिका का क्या स्वरूप है।

जैसा कि हम बता चुके हैं कि कार्यपालिका के दो तरह की होती है। **(क) राजनैतिक कार्यपालिका** तथा **(ख) स्थायी कार्यपालिका।**

राजनैतिक कार्यपालिका में ही शासन की वास्तविक शक्ति छिपी हुई है। राजनैतिक कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता की ओर से शासन करती है। इसका कार्यकाल निश्चित अवधि के लिए होता है अथवा लोकसभा में बहुमत रहने तक दायित्व संभाले रहता है। स्थायी कार्यपालिका ऐसे उच्च पदाधिकारियों की फौज है। जो विभिन्न स्तर पर सरकार के नीति निर्धारण में परामर्श देती है। एवं निदेशानुसार नीति के स्वरूप को अमली जामा पहनाती है।इसके कार्यकाल पदस्थापित अधिकारियों के अवकाश ग्रहण करने तक बनी रहती है।

राजनैतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं इसके मंत्री परिषद् सम्मिलित होते है। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं; परंतु सारे कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के सलाह से संपन्न करते हैं।

राष्ट्रपति के अतिरिक्त एक उपराष्ट्रपति का भी पद है जो राष्ट्रपति के गैरहाजिरी में अथवा पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति के सारे कार्य सम्पन्न करते हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन–

राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जिसमें दो तरह के सदस्य होते हैं–

1. भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य।

2. राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतविधि द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतविधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्त्व के आधार पर होता है। इसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए होता है। अभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पदच्यूत किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाह से ही राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्तों, राजदूत आदि की नियुक्ति करते हैं।

राष्ट्रपति को भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यों में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार शामिल है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, इसके अतिरिक्त वित्त आयोग की नियुक्ति, धनविधेयक की मंजूरी आदि महत्वपूर्ण कार्य है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या खतरा, राज्य में संविधान की विफलता का संकट एवं आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है । राष्ट्रपति के इस अधिकार का प्रयोग 1962, 1971 एवं 1975 ई. में हुआ।

संविधान के 44वें संशेधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति, मंत्रीपरिषद की सिफारिश को फिर से विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकते हैं। परन्तु मंत्रीपरिषद् द्वारापुनः विचार के उपरांत राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य है।

प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद–

बच्चों! तुमने देखा है कि राष्ट्रपति के सारे कार्य वास्तव में प्रधानमंत्री ही करते हैं! हालांकि इस आशय का फैसला मंत्रीपरिषद् की बैठक में तय किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उसे पद त्याग हेतु विवश कर सकते हैं। अतएव मंत्रीपरिषद् पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है। स्वयं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। परन्तु लोकसभा के बहुमत दल के नेता होने की कारण उसकी नियुक्ति तय मानी जाती है। लोकसभा में अगर किसी दलका बहुमत नही रहे तो कई दल गठबंधन बनाकर नेता का चयन करते हैं। गठबंधन में सहयोगी दल सरकार में शामिल भी होते हैं या सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं।

संसद–

हर लोकतांत्रिक देश में जन प्रतिनिधियों की सभा होती है, जिसे **संसद** कहा जाता है। अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है तो इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट। उसी प्रकार फ्रांस में नेशनल एसेम्बली, जापान में डायट तथा रूस में ड्यूमा के नाम से जाना जाता है।

भारत और इंगलैंड में संसद जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा है जिसे सर्वोच्च राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते है। क्योंकि अन्य देशों की तरह भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।

संसार के सारी संसदें नए कानून बनाती है, वर्तमान कानून में संशोधन करती है अथवा उसे समाप्त कर सकती है। इसीलिए इसे हम विधायिका कहतेहैं। केन्द्र में इसे हम संसद के नाम से जानते हैं जबकि राज्य में इसे विधान मंडल के नाम से जानते हैं।

पुनः संसार में अन्य संसदों की तरह भारतीय संसद भी सरकार चलाने वाले तंत्र को नियंत्रण करने हेतु कुछ अधिकार का प्रयोग करती है। परंतु भारत में सरकार पर संसद का सीधा और पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि सरकार संसद के समर्थन पर ही अपने फैसले को लागू कर सकती है। संसद के दो सदन हैं–लोकसभा और राज्यसभा।

लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और इसके सदस्य आम तौर से सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि है और जनताकी ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करती है। इसे भारत में लोक सभा कहते हैं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा एवं इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ कॉमन्स। राज्यस्तर पर विधान मंडल का यह

सदन **विधान सभा** कहलाती है। भारत का राज्य सभा **द्वितीय सदन** कहलाती है। अमेरिका में सीनेट तथा इंग्लैण्ड में हाउस ऑफलॉर्डस द्वितीय सदन है। दूसरे सदन का सामान्य काम काज विभिन्न राज्यों,क्षेत्रो एवं संघीय ईकाइयों के हित की निगरानी करना होता है।

पिछलें वर्ग में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा होगा। इस वर्ग की किताब के अध्याय -4 में चुनावी राजनीति में लोकसभा के चुनाव के बारे में बताया गया है यहाँ अब हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि लोकसभा और राज्य सभा में प्रमुख क्या अंतर है।

लोकसभा कक्ष का दृश्य

राज्य सभा कक्ष का दृश्य

बच्चों, याद करके बताओं-

- लोकसभा और राज्य सभा के कुल सदस्यों की कितनी संख्या है?
- इन सदस्यों को कौन चुनता है?
- उसका कार्यकाल कितना होता है?
- लोकसभा को कब भंग किया जा सकता है?
- राज्य सभा को भंग किया जा सकता है, अथवा नहीं?

बच्चों, तुमने जाना कि संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे हम **विधेयक** कहते हैं। विधेयक दो प्रकार का होता है-साधारण विधेयक और वित्त या **धन विधेयक**। साधारण विधेयक कानून बनने के पहले **पाँच** चरणों से गुजरता है-

प्रथम वाचन-साधारण विधेयक लोकसभा या राज्य सभा दोनों में से किसी एक में उपस्थापित किया जा सकता है। विधेयक उपस्थापित करने वाले उस विधेयक के नाम और शीर्षक बताने के उपरांत विधेयक से सम्बन्धित मुख्यबातों का जिक्र करते हैं।

द्वितीय वाचन- इस स्तर पर यह तय हाता है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास विचार के लिए प्रस्तुत किया जाय अथवा जनमत हेतु इसे प्रस्तावित किया जाए। अथवा उस पर सदन में ही तुरंत विचार कर लिया जाए। इनमें से किसी एक प्रस्ताव पर सहमति बनने के उपरांत विधेयक पर विस्तारपूर्वक वाद विवाद होता है।

लोकसभा में एक दिन ...

चौदहवीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं।

11.00 विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे:

- कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है?
- पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के ख़िलाफ़ किए गए अत्याचारों का आँकड़ा बताएँ।
- बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएँ अत्यधिक महँगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है?

12.00 ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे:

- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम की रिपोर्ट और लेखा-जोखा

12.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद् को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया।

- रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है।
- मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा।

12.14 कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, जिनमें शामिल थे:

- तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ़ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिशोधात्मक रवैया।
- संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत।
- आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता।

2.26 सरकार द्वारा प्रस्तावित दो विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे:

- प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक
- प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक

4.00 आख़िर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई।

7.17 चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हुआ।

अगर विधेयक विचार के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाता है तो प्रवर समिति विधेयक पर विचार करती है और अगर आवश्यक हुआ तो इसमें संशोधन का सुझाव देती है।

पुनः प्रवर समिति द्वारा भेजे गये विधियक पर सदन विधेयक के प्रत्येक पक्ष पर विस्तार से विचार करती है। समर्थक और विरोधी मत विधेयक पर अपना संशोधन पेश कर सकती है। इसके उपरांत सदन संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक विधेयक को पारित कर देती हैं

तृतीय वाचन–इस स्तर पर विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। भाषा शुद्धि के उपरांत विधेयक पर मत लिया जाता है और उसे पारित समझा जाता है।

एक सदन के पारित होने के बाद दूसरे सदन में विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं। दूसरे सदन में विधेयक को उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिस प्रक्रिया से पूर्व के सदन में विधेयक को गुजरना पड़ा। अगर दोनों सदनों में विधेयक पर मतभेद हो जाए तो संसद की संयुक्त बैठक बुलायी जाती है; जहाँ बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है। चूँकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य सभा के सदस्यों से अधिक होता है, अतएव लोकसभा द्वारा पारित विधेयक ही मूल रूप में संयुक्त बैठक में पारित हो जाते हैं।

राष्ट्रपति की स्वीकृति–दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जिसकी स्वीकृति मिलने के उपरांत विधेयक कानून बन जाता है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चाहे तो संसद को पुनः विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकते हैं। वर्ष 2007 में ए.पी.जे. अबुल कलाम ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए लाभ के पद सम्बन्धित विधेयक को संसद में पुनः विचार के लिए भेजे थे। अगर संसद पुनः उसी रूप में विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनः भेज देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है।

स्मरणीय

- आधुनिक विश्व के प्रायः अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है।
- शासन के स्वरूप दो तरह के होते है। अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन। अध्यक्षीय शासन के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश, श्री लंका, दक्षिण अफ्रिका आदि। संसदीय शासन के उदाहरण भारत, इंगलैंड

हाल में नेपाल एवं पाकिस्तान, इटली, जापान आस्ट्रेलिया (अधिकांश युरोपीय देश) आदि। जबकि फ्रांस और स्वीटजरलैंड में अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन व्यवस्था का संयुक्त रूप है।

- मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं इसमें अमूमन विभिन्न सतरों के 60 से 80 मंत्री होते है।
- कैबिनेट मंत्री अमूनन सत्ताधारी पार्टी या गठबन्धन के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं।
- राज्यमंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रीयों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।
- गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपने मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। गठबंधन के साझीदारों की राय भी माननी पड़ती है क्योंकि उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिके होते हैं। हाल के ताजा उदाहरण मनमोहन सरकार में संकट तब हुआ जब एटमी करार पर वामदल ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।
- दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गये हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी-कभी प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था कहा जाने लगा है क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित रहने की प्रवृत्ति देखी गयी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जनता पर उनका अधिक प्रभाव था। इन्दिरा गांधी काफी प्रभावशाली प्रधानमंत्री थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।
- राष्ट्रपति का पद भी उस आसीन व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, के. आर नारायणण, ए.पी.जे. अबुल आदि सशक्त राष्ट्रपति माने जाते हैं।

राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका-

भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार दुनिया के अन्य लोकतंत्र में भी संघीय शासन व्यवस्था है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसी प्रकार की संघीय व्यवस्था है।

भारत संघ में दो स्तरों पर सरकार का गठन किया गया है–केन्द्र और राज्य। राज्य कार्यपालिका में ही राज्यपाल, मंत्रीपरिषद और मुख्य मंत्री आते हैं। यद्यपि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान हैं परन्तु व्यवहार में प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री ही कार्यपालिका का प्रधान होता है।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रीमंडल के परामर्श पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, परन्तु विधान सभा में वह बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद हेतु आमंत्रित करते हैं। अगर किसी एक दल का बहुमत नहीं है तो गठबन्धन के नेता को मुख्यमंत्री पद हेतु आमंत्रण देते हैं और विधान सभा में बहुमत साबित करने हेतु तिथि निश्चित करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल मंत्री परिषद् के अन्यसदस्यों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रीयों के बीच विभागों का बँटवारा करते हैं। राज्यके महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा इस प्रकार के अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल करते हैं।

विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों की बैठक बुलाने, बैठक स्थगित करने एवं विधान सभा भंग करने के अधिकार राज्यपाल को है। पुन: राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देते हैंजिसे राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। राज्यपाल को विधानपरिषद् के 1/6सदस्यों को मनोनीत करने के अलावा विधानमंडल में संदेश भेजने के अधिकारप्राप्त है।

राज्यपाल के स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बनता है। विधान मंडल के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। वित्त विधेयक राज्यपाल के पूर्वानुमति पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल के स्वीकृति के उपरांत ही धनविधेयक कानून बनता है। राज्यपाल को अपराधी का दंड कम करने, स्थगित करने या दूसरे दंड में बदलने या पूर्णत: माफ करने का अधिकार है। परन्तु मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल के सिफारिश पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है राष्ट्रपति शासन होने पर राज्यपाल केन्द्र केएजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं और वह केन्द्र के निर्देशानुसार शासन करते हैं। राज्यपाल विभिन्न विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होता है।

बच्चों ! राज्यपाल के अधिकार और कार्यो की विवेचना से ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक शक्तिशाली व्यक्ति है, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही सारा कार्य करते हैं। अतएव वह नाम मात्र का प्रधान है। वास्तव में कार्यपालिका की सारी शक्ति मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्री परिषद में छिपी है।

मुख्यमंत्री विधान सभा का नेता होता है। वह राज्य के प्रशासन के लिए नीति निर्धारण करते हैं या मंत्रीयों के बीच समन्वयक का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देते हैं। मंत्रीयों के कार्य के बंटवारा आदि में मुख्यमंत्री की इच्छा सर्वोपरि है ; तथापि वरिष्ठ एवं व्यक्तित्व वाले मंत्रियों का महत्व वाले विभाग देने के लिए मुख्यमंत्री मजबूर है।

मुख्यमंत्री की शक्ति उस पद पर आसीन व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। बिहार में भी कई शक्तिशाली मुख्यमंत्री हुए, तो कई कमजोर।

विधानमंडल– संविधान में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में दो सदनों (विधानसभा और विधानपरिषद) से मिलकर बनेगा। राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय होया द्विसदनीय इसका निर्णय करने का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और संसद को है। छः राज्यों में विधानमंडल दो सदनीय (बिहार, उ0प्र0, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मिर एवं महाराष्ट्र) है। एवं शेष 22 राज्यों में एक सदनीय एवं दो केन्द्र शासित प्रदेश क्रमशः दिल्ली और पाण्डिचेरी में एक सदनीय विधानमंडल है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। बिहार विधान सभा में 243 सदस्य है ओर बिहार विधान परिषद् में वर्तमान में 75 सदस्य हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया - आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनित सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मतदाता बनने की उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है एवं 25 वर्ष पार कर चुके पुरूष/स्त्री विधान सभा अभ्यर्थी बन सकते हें।

विधानसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थिति में 5 वर्ष है। परन्तु राज्यपाल इसे पाँच वर्ष से पहले भी विशेष परिस्थिति में भंग कर सकते हैं।

विधानसभा कानून बनाने वाला प्रमुख सदन है। धन विधेयक तो सिर्फ विधान सभा में ही उपस्थापित किया जाता है।

साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी एक सदन में उपस्थापित कियाजा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विधान परिषद चार महीने के भीतर अपना अनुमोदन देने के लिए बाध्य है। चार महीना से अधिक विलम्ब होने पर विधेयक अपने आप पारित समझा जाता है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को अधिक से अधिक 14 दिनों तक ही विलम्ब करने का अधिकार है। अतएव विधि निर्माण में विधानसभा एक सशक्त सदन है। विधानसभा मंत्रीपरिषद पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न द्वारा, बजट के समय कटौती प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण रखती है।

मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व विधान सभा के प्रति ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव तथा काम रोका प्रस्ताव सिर्फ विधान सभा में ही लाया जा सकता है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्षः- प्रत्येक राज्य में विधान सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष के गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।

विधान परिषदः- विधान परिषद् विधान मंडल का उच्च सदन है। अभी भारत के छः राज्यों में विधान परिषद् है। आन्ध्र प्रदेश में पहले 1957 में विधान परिषद् का गठन और फिर 1985 में उसका अन्त किया गया 1969 में पश्चिम बंगाल राज्य और 1969 में ही पंजाब राज्य ने अपने विधानमंडलीय उच्च सदन को भंग कर दिया।

संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि जिन राज्यों में उच्च सदन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ व्यवस्था बहाल की जा सकती है। जिन राज्यों उच्च सदन की व्यवस्था है, वहां व्यवस्था समाप्त भी की जा सकती है। लेकिन ऐसा करने के पूर्व विधानसभा के अपने विशिष्ठ बहुमत (कुल सदस्य का बहुमतया मतदान करने वाली सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत) से प्रस्ताव पारित कर संसद के पास भेजना होगा। यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर संबंधित राज्य में उच्च सदन की व्यवस्था का आरम्भ या अन्त कर सकते हैं।

संविधान में यह व्यवस्था है कि विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 एवं अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 होगी। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। जिसमें इसके कुल सदस्यों का एक तिहाई भाग उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं-नगर सभाएं, ग्रामपंचायत इत्यादि द्वारा निर्वाचित किया जाता है। पुनः इसके कुल सदस्यों का1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है परिषद में कुल सदस्यों 1/12 भाग राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा

चुना जाता है। कुल सदस्यों का 1/12 भाग माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है और 5 कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल ऐसे लोगों को मनोनित करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, समाजसेवी आदि का व्यावहारिक अनुभव है।

कार्यकाल–विधान परिषद स्थायी सदन है। प्रत्येक दो साल बाद एक तिहाई सदस्य अपना स्थान छोड़ देते हैं। इस जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक सदस्यों का निर्वाचन छः वर्ष के लिए होता है।

पदाधिकारी–परिषद् अपने में से एक सदस्य को सभापति और एक को उपसभापति के पद हेतु चुनती है। सभापति परिषद् के बैठकों का सभापतित्व करते हैं, सदन में शांति और व्यवस्था कायम रखते हैं।

विधानसभा की तरह साधारण विधेयक विधान परिषद् में भी उपस्थापित किया जा सकता है। अगर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो यह आवश्यक है कि विधान परिषद तीन माह में विचार कर ले। यदि विधान परिषद ऐसे संशोधन पेश करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं है या वह विधेयक को अस्वीकार कर देती है और उस विधेयक को विधानसभा दुबारा पास कर देती है तो एक माह में विधान परिषद उसविधेयक को पास करे या ना करे, विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अतएव साधारण विधेयक के सन्दर्भ में विधान परिषद कमजोर सदन है।

न्यायपालिका– बच्चों, याद करो। इसी अध्याय में पहले बताया गया था कि 27 प्रतिशत आरक्षण के विरूद्ध काफी हो हंगामा हुआ था। इसके विरूद्ध कई स्थानों पर संघर्ष हुआ।

सार्वजनिक उद्यमों और केन्द्रीय विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के विरूद्ध कई लोगों ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद पर अपना फैसला सुनाया और विवाद का संतोषजनक अन्त हो गया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया।

अब तुम्हारे सामने प्रश्न आते हैं। कल्पना करो कि निम्नलिखित परिस्थितिमें क्या होता–

(क) इस देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसा कोई संस्था नहीं होता।

(ख) अगर सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं होता अथवा सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के फैसले एवं कार्रवाई को परखने का अधिकार नहीं होता।

स्पष्ट है कि देश में आतंक और अनिश्चितता का शासन हो जाता। प्रजातंत्र अपने मूल रूप से भटक जाता। संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती।

इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित अदालतों को सामुहिक रूप में न्यायपालिका कहा जाता है।

देश में न्यायपालिका का स्वरूप इस प्रकार है।

(क) सर्वोच्च न्यायालय

(ख) राज्यों में उच्च न्यायालय

(ग) राज्यों के जिलों में स्थापित न्यायालय

भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के नीचे दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के अन्य अधीनस्थ न्यायालय होता है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक व्यवस्था संघीय है। अर्थात् न्याय व्यवस्था दोहरी है। केन्द्र के लिए संघीय न्यायालय है। संघीय कानूनों से सम्बन्धित सभी मुकदमों एवं मुद्दों की सुनवायी संघीय न्यायालय होता है। वहाँ संघीय न्यायालय के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। भारत में इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई और यह नई दिल्ली में स्थिति है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता निम्न है-

1. भारत का नागरिक हो।
2. कम से कम पाँच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या
3. कम से कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या
3. राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो।

नियुक्ति- न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में 65 वर्ष के उम्र तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बने रहते हैं। परन्तु महाभियोग द्वारा किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग सदन के कुल सदस्यों की बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास होना चाहिए।

क्षेत्राधिकार- सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक एवं अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इसके प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारों में शामिल हैं दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, मौलिक अधिकारों से संबंधित मुकदमें में आदि। सर्वोच्च नयायालय को दीवानी एवं आपराधिक दोनों क्षेत्रों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी नागरिक अथवा राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक भी है। इस नाते संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ करती है।

सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति कानून के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे

परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है और न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति ही बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार करने का भी अधिकार प्राप्त है। फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश या लेखजारी करता है। इन लेखों के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण इत्यादि है। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। राष्ट्रपति के पुर्वानुमति से न्यायालय के अधिकारियों में वेतन, भत्ते, छुट्‌टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों से सबंधित नियम बना सकता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है। इसकी स्वतंत्रता हेतु संविधान में व्यवस्था की गई है। संविधान के 42 वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चेष्टा की गई है। परंतु 43वें संशोधन द्वारा इसकी स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित कर दिया गया।

पुनः 44वें संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कुछ परिवर्तन भी किए गये हैं।

उच्च न्यायालय-संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्यों में या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय होगा। यह न्यायालय राज्य में सभी न्यायालय से ऊपर है। इसलिए इसका नाम उच्च न्यायालय रखा गया है। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई थी। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश हैं। राज्य के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और सम्बन्धित राज्यों के राज्यपाल की सलाह से करते हैं। उच्च न्यायालय में उसी व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है जो

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) वह भारत में 5 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो।

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेने के पश्चात् किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालय में तबादला करा सकते हैं। उच्च

न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। परन्तु संसद 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं।

क्षेत्राधिकार– संविधान में यह कहा गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व जो उच्च न्यायालय के अधिकार प्राप्त था वही अधिकार क्षेत्र वर्तमान राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त हो। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार निम्न हैं–

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार– प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई भी मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण लेख जारी करता है। पुनः तलाक, वसीयत, जल सेवा विभाग, न्यायालय की मान हानि, कम्पनी कानून आदि से सम्बद्ध मुकदमें भी उच्च न्यायालय के प्रारंभिक से क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

अपीलीय अधिकार क्षेत्र– अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध निम्न मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है–

(क) वैसे दीवानी मुकदमा जिसमें 5 हजार रूपये अथवा इससे अधिक की राशि अथवा इतने मूल्य की सम्पति का प्रश्न हो।

(ख) फौजदारी के वैसे मुकदमें की अपील जिसमे दोषी को चार वर्ष या इससे अधिक का कारावास का दंड दिया गया हो।

(ग) फांसी की सजा की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ध्यान रहे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय से लेनी आवश्यक है।

(घ) वैसे मुकदमें जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो।

इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय से न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण भी करता है।

इसके अतिरिक्त राज्य में जिला स्तर पर फौजदारी, दिवानी तथा राजस्व सम्बन्धित मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। सबसे नीचले स्तर पर ग्राम कचहरी होता है जिसे अधिक से अधिक 100 रूपये जुर्माना और एक माह की सजा देने का अधिकार प्राप्त है। 500 रूपये तक की दिवानी मुकदमों की सुनवायी ग्राम कचहरी कर सकता है।

कुछ जानने योग्य अन्य बातें:

- सन् 1976 में संविधान में हुए 42 वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 42वें संशोधन में ही संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रीमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
- भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जन्मजात और राज्यकृत में भेदभाव नहीं किया गया।
- राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए 15,000 रूपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- सदन की कुल संख्या के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर सहित महाभियोग की प्रति प्रस्ताव करने वाले दिन से 14 दिन पूर्व सदन के अध्यक्ष को देना आवश्यक है।
- संसद और विधान सभा के मनोनित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे मगर वे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में अवश्य भाग लेंगे। लोकसभा अथवा राज्य सभा के महासचिव का चुनाव आयेाग मुख्य चुनाव अधिकारी बनाता है
- राष्ट्रपति सेना का कमान्डर इन चीफ होता है।
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होता है।
- भारतीय संविधान में उपप्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु 1978 में मोरारजी देसाई ने बाबू जगजीवन राम और चौधरी

चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करवाया था। 1990 में चन्द्रशेखर ने चौधरी देवी लाल को उपप्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा 2002 में तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने लालकृष्ण आडवानी को उपप्रधानमंत्री नियुक्त, करवाया था। हालाँकि संविधान के अनुसार उपप्रधानमंत्री कोई विशेष शक्ति नहीं है।

- एन.वी.गाडगिल ने कहा था ''प्रधानमंत्री के अधिकार इतने अधिक है कि यदि स्वभाव से वह प्रजातन्त्रीय विचारधारा का नहीं है तो निरंकुश बन जाने की बहुत आशंका है,'' सन् 1975-77 के दौरान आपातकाल लागू करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने कमोवेश ऐसी हालात पैदा कर दी थी।
- 15 अगस्त 1947 से अभी तक 18 व्यक्ति प्रधान मंत्री पद की शोभा बढ़ा चुके हैं उसी प्रकार 12 व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आरूढ़ हो चुके हें।
- भारत में राज्य सभा में देश के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जबकि अमेरिका, रूस,स्वीटजरलैण्ड में एक या द्वितीय सदन में देश के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है
- राज्य सभा के सदस्यो का निर्वाचन गुप्त मतदान की अपेक्षा खुले मतदान द्वारा होता है। (2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन द्वारा)
- राज्य सभा की कार्यवाही चलाने के लिए इसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग की उपस्थिति अनिवार्य है।
- राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। राज्य सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार है।
- यदि राज्य सभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में वर्णित विषय के सम्बन्ध में संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है तो संसद उस विषय से सम्बन्धित कानून का निर्माण कर सकती है।

- लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिक-से अधिक संख्या 550 निश्चित की गई है। इन 550 में 530 सदस्य भारतीय संघ के राज्यों का और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
- अगस्त 2001 में भारतीय संसद ने एक संवैधानिक संशोधन पास करके लोक सभा और विधानसभा के कुल स्थानों की संख्या को 2026 तक जाम (Freeze) कर दिया है। अर्थात 2026 तक लोक सभा और विधान सभाओं के कुल स्थानों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- वर्तमान 14वीं लोकसभा का गठन 17 मई 2004 को हुआ और इसके कुल 539 सदस्यों में से केवल 44 स्त्रियां चुनी गई हैं।
- लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को दोनों पक्षों में मतो ंकी संख्या समान होने पर अपना निर्णयक मत देने का अधिकार है।
- लोक सभा के अध्यक्ष ही दोनों सदनों ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।
- राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद विधेयक को भारतीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। इस प्रकार विधेयक देश के कानून का रूप धारण का लेता है।
- साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जबकि धन विधेयक पर संसद का संयुक्त नहीं अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है।

शब्दावली

गठवंधन सरकार : विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार।

कार्यपालिका : व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है।

सरकार : संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन-जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है।

न्यायपालिका : एक सरकारी संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निबटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है।

विधायिका : जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है।

कार्यालय ज्ञापन : सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है।

राजनीतिक संस्था : देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह।

आरक्षण : भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ शैक्षिक संस्थाएं पद एवं सीटें 'आरक्षित' करने की नीति।

राज्य : निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई, जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता हे। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र औरराज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। 'राज्य' शब्द का एक अन्यप्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाईयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं।

प्रश्नावली

1. **अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में सेकौन-सा फैसला खुद कर सकते हैं?**

   (क) अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं।

   (ख) लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं।

   (ग) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।

   (घ) मंत्रिपरिषद् में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं।

2. **निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है?**

   (क) जिलाधीश (ख) गृह मंत्रालय का सचिव

   (ग) गृह मंत्री (घ) पुलिस महानिदेशक

3. **न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा बयान गलत है?**

   (क) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरीकी जरूरत होती है।

   (ख) अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तोन्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है।

   (ग) न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है।

   (घ) अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वहअदालत में जा सकता है।

4. **निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन-सी संस्था देश केमौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है?**

   (क) सर्वोच्च न्यायालय

   (ख) राष्ट्रपति

   (ग) प्रधानमंत्री

   (घ) संसद

5. उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा :

क. देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है।	1. रक्षा मंत्रालय
ख. ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएँ सुलभ करायी जाएँगी।	2. स्वास्थ्य मंत्रालय
ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूँ की कीमतें कम की जाएँगी।	3. कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
घ. पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। भत्ते बढ़ाए जाएँगे।	4. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

6. देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिकसंस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है।

क. सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढ़ाँचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा।

ख. स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटीके सुझाव पर विचार-विमर्श करती है।

ग. दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है।

घ. भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना माँगती है।

7. भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित चार जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए:

क. संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।

ख. लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है।

ग. चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नही है।

घ. प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा।

8. तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान कहा कि इस तरह का, बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक हे। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है। कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है?

9. एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्राओं से अलग-अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहें तो राज्य सभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों?

10. आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग-अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन-सी प्रतिक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है?

क. श्रीनिवास का तर्क है कि चूँकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वह स्वतंत्र नही है।

ख. अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोचच न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया।

ग. विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया।

आपकी राय में कौन-सा विचार सबसे सही है?

11. बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

12. बिहार विधानपरिषद का गठन कैसे होता है?

परियोजना कार्य

इस अध्याय में हमने देश की चार विभिन्न संस्थाओं के बारे में चर्चा की। आप कम-से-कम एक हफ्ते के समाचारों को इकट्ठा करके उन्हें चार समूहों में वर्गीकृत कीजिए:

- विधायिका की कार्यशैली
- राजनैतिक कार्यपालिका की कार्यशैली
- नौकरशाही की कार्यशैली
- न्यायपालिका की कार्यशैली

अध्याय -6

लोकतांत्रिक अधिकार

परिचय

लोकतंत्र में आम जनता की सत्ता में साझेदारी होती है। यह साझेदारी व्यक्ति के अधिकारों के माध्यम से सम्भव हो पाती है (जैसे कि नागरिकों के मतदान का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति के अधिकार, सूचना पाने का अधिकार।) इसलिए व्यक्ति के अधिकार न सिर्फ लोकतंत्र की स्थापना की अनिवार्य पूर्व शर्त है; वरन् लोकतांत्रिक राजनीति की सहगामी है जिसकी उपस्थिति लोकतांत्रिक शासन के वास्तविक स्वरूप को निरन्तर प्रकट करने में होती है।

अधिकारों का महत्व

अधिकारों का महत्व जानने के लिए अध्याय की शुरूआत वैसी घटनाओं से करते हैं जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। इनसे उपजी तकलीफ एवं त्रासदी स्वभावत: हमारे मन मस्तिष्क को यह अहसास कराता है कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। यह हमें यह भी जानने के लिए उकसाता है कि वास्तव में अधिकारों का मतलब क्या होता है? हमें इनकी जरूरत क्यों है? इनको संविधान में दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस दिशा में पहला कदम उठाने वाला देश कौन सा था? हमारे संविधान में स्थानपाने के लिए अधिकारों को कितना संघर्ष करना पड़ा आजादी के बाद भारत के संविधान में नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार दिए गये हैं? हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि आम आदमी इन अधिकारों को कैसे हासिल कर सकता है? अगर इन अधिकारों को कोई छीनता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा और इन को लागू कौन करेगा।

आखिर में हम यह देखेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों होती है? लोकतंत्र को बनाये रखने में, लोकतंत्र को चलाने में, बढ़ाने में अधिकारों की कैसी भूमिका होती है? आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। क्या लोकतंत्र के विकास और विस्तार ने अधिकारों का भी विस्तार किया है? हाल के वर्षों में हमारे देश, दुनिया के अन्य देशों या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए क्या किया है?

6.1 अधिकारों के बिना जीवन

हम आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं जिनमें निर्दोष व्यक्ति पुलिस गुंडों बाहुबलियों और सत्ताधारियों के अत्याचार के शिकार होते हैं। ऐसे कैदियों की खबरें होती हैं जिनपर मुकदमा चलाने में इतने वर्ष लग जाते हैं कि बिना आरोप सिद्ध हुए उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा जेलों में बीत जाता है। जेलों में कैदियों, बच्चों, औरतों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। भागलपुर की जेल में कैदियों की आँखें फोड़ दी गयी थी। अमेरिकी फौजों ने इराक में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अनेक अत्याचार किए। 11 सितम्बर 2001 के बाद आतंकवाद के विरोध के नाम पर अमेरिका निर्दोषों को भी निशाना बनाता रहा।म्यामांर में देश की सरकार ने आंग-सान-सू-की को वर्षों तक उनके ही घर में नजरबन्द रखा। इराक में, युगोस्लाविया में, भारत में तथा विश्व के कई देशो में जातीय नरसंहार के नाम पर आम लोगों को भीषण कष्ट झेलने पड़े।

ऐसी खबरों को पढ़कर या जानकर आपके मन में क्या बात आती है? निश्चित तौर पर हम ऐसी घटनाओं को नहीं होने देना चाहेंगे और ऐसी व्यवस्था चाहेंगे जिसमें हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, जिसमें सभीके लिए सम्मान, प्रतिष्ठा और समान अवसर हों।

दूसरे शब्दों में मनुष्य अच्छा जीवन जीना चाहता है। इसके लिए उसे कुछ विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है व्यक्ति इन सुविधाओं को मांग या दावे के रूप में रखता है। चूँकि समाज के सभी लोगों को ये सुविधाएँ चाहिए इसलिए ये दावे तार्किक एवं विवेकपूर्ण होने चाहिए। इन दावों को सब पर समान रूप से लागू किया जानेवाला होना चाहिए। तभी उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। समाज सिर्फ ऐसी ही मांगों को स्वीकारता है जो आवश्यक है और जिसमें सार्वजनिक कल्याण की भावना-निहित होती है। जब इन दावों को राज्य भी मान लेता है अपने कानून के द्वारा उसे लागू कर देता है, तब इसे अधिकार कहते हैं।

इस तरह अधिकार लोगों के वे तार्किक दावे है जिसे समाज से स्वीकृति एवं अदालतों द्वारा मान्यता मिलती है।

खुद करें और खुद सीखें

- अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है, इसके लिए आप स्वयं भी अखबारों, पत्रिकाओं से ऐसी घटनाओं की जानकारी इकट्ठी कर सकते हें जैसे
- पुलिस हिरासत में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें
- साम्प्रदायिक दंगों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें
- महिलाओं के साथ गैरबराबरी करने वाले व्यवहार की खबरें

6.2 लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत

इस अध्याय की शुरूआत में ही हमने देखा है कि लोकतंत्र मे आम जनता की सत्ता में साझेदारी होती है। इस साझेदारी के भी दो तरीके है पहला नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लें लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों को भाग लेनी होती इस तरह का लोकतंत्र अव्यवहारिक एवं असम्भव हो जाता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें नागरिकों द्वारा चुने हुए कुछ प्रतिनिधि उनकी तरफ से शासन चलाएँ, फैसलें लें। हम पिछलें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव कहते हैं और इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए नागरिकों को जिस अधिकार की जरूरत होती है, उसे मताधिकार कहते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधियात्मक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की पहली शर्त अधिकारों की मोजूदगी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देकर प्रतिनिधि चुनने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने का अधिकार होता है।

यह प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को सही और वास्तविक रूप में लगातार अभिव्यक्त करता रहे इसके लिए आवश्यक है कि सरकार का गठन नियमित अन्तराल पर निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनावों के द्वारा हो। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का, राजनैतिक पार्टी बनाने का राजनैतिक गतिविधियां की आजादी हो।

सही ढ़ंग से चुनी हुई सरकार निरंकुश न हो जाएँ, उनका लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहें इसके लिए इन्हें अपने काम में कुछ सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। सरकार को शक्तियाँ व्यक्ति के अधिकार इन सीमा रेखाओं का निर्धारण कर सरकार को अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने में मदद करती है, सरकार सही से काम कर रही है, उसके लिए जरूरी है कि उसका सतत् मूल्यांकन हो। यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति को बोलने की आजादी हो। सरकार के कामों की जानकारी का अधिकार हो। सरकार की आलोचना का अधिकार हो।

लोकतंत्र की कार्यपद्धति ऐसी होती है जिसमें बहुसंख्यक हमेशा मजबूत स्थिति में होते हैं अतः लोकतंत्र में बहुसंख्यकों की मनमानी की सम्भावना हमेशा बरकरार रहती है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा की गारंटी लेते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते है कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे।

अधिकारों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है

कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा नही करती है या इससे भी बढ़कर वह स्वयं नागरिकों के अधिकार पर हमला करती है। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊँचा दर्जा दिए जाने की जरूरत होती है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सके, अधिकारों को लागू-कराया जा सके। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार को लिखने की जरूरत होती है।

आइए अब हम देखें कि विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान में अधिकारों की जो सूची बनी उसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की।

विश्व के सन्दर्भ में

विश्व के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग 1789 में फ्रांसीसी क्रान्ति के समय किया गया। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए संविधान में नागरिकों के कुछ मूल अधिकारों को शामिल किया। मानव अधिकारों की घोषणा ने विश्व के बहुत सारे संविधानों को प्रभावित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान लागू होने के दो वर्ष के अन्दर दस संशोधनों के द्वारा मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाया। Pl.also refer to un declaration of Universal Human Rights in 1948 आज लगभग सभी देशों के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख

किया गया है यहाँ तक कि रूस और चीन जैसे सर्वाधिकारवादी संविधान में भी नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

भारत के सन्दर्भ में

भारत में सबसे पहले बालगंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान अनेक बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की। 1918 के बम्बई अधिवेशन, 1933 के कराची अधिवेशन में नेहरू समिति ने 1928 में तथा सप्रु समिति ने 1945 में मौलिक अधिकारों का मामला जोर शोर से उठाया लेकिन भारतीयों को मौलिक अधिकार नही दिए गए।अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान के अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सबकी रायएक थी। संविधान के मूल ढाँचे के उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गयी।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता-एवं न्याय दिलाने का वायदा करता है तथा मौलिक अधिकार इन्हीं वायदों को पूरा करने का प्रयास है।

मौलिक अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके।

भारतीय संविधान में अधिकार

मौलिक अधिकारों से तात्पर्य- मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने के और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है; वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है इसके अलावा सरकार का कोई भीअंग मौलिक अधिकारों के विरूद्ध कार्य नहीं कर सकता।

हमारे संविधान में निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया गया है।

समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18 तक)

हमारे आसपास बहुत सारी बाते होती रहती है जो हमें यह सोचने पर विवश कर देती है कि मानव समाज में ये स्थितियाँ उपस्थित रहने योग्य है या नहीं।

- एक खेत में महिला एवं पुरूष दोनों काम करते रहे हैं। दिन की समाप्ति के बाद पुरूष को पचास रूपये दिए जाते हैं जब कि उसी काम के लिए महिला को पच्चीस रूपये दिए जाते हैं।
- किसी सार्वजनिक स्थल में दलितों को या किसी धर्म विशेष के लोगों के प्रवेश की मनाही होती है।
- किसी–विद्यालय में किसी–जाति या वर्ण विशेष के छात्र के बैठने या पानी पीने की अलग व्यवस्था होती है।

ये सभी भेदभाव के स्पष्ट उदारहण है। एक में लिंग तथा अन्य में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है। क्या आपकी राय में ऐसा भेदभाव उचित है?

समता का अधिकार इसी तरह के भेदभाव को मिटाने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों – जैसे दुकान होटल, मनोरंजनगृह, कुआँ, स्नान–घाट ओर पूजास्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। जाति नस्ल, रंग, लिंग,धर्म, या जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं कर सकता।

उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामलें में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है।

इसी अधिकार के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा क्षेत्र में गौरव पूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

पुनः संविधान के द्वारा सामाजिक व्यवहार में अस्पृश्यता को निवारित किया गया तथा अस्पृश्यता पर आधारित व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया।

इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। किसी भी व्यक्ति का दर्जा; पद, चाहे जो भी हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे ही **विधि का शासन** भी कहते हैं।

क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? आप पाएगें कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है; प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएँ व्याप्त हों, तो समान अवसर का क्या मतलब हो सकता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएँ व निर्णय लागू कर सकती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री–गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती हैं। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है। पर असल में ऐसा नहीं है। कई बार अवसर की समानता निश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इस बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

किसी सार्वजनिक स्थल का मुआइना कीजिए। क्या वहाँ वृद्धों, विकलांगों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था है? क्या यह व्यवस्था समानता के अधिकार का उल्लंघन है? उदाहरण के लिए रेलवे के टिकट आरक्षण काउंटर पर 60 साल की उम्र से अधिक लोगों के लिए अलग व्यवस्था होती है।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब आपको अपनी इच्छानुसार कोई काम करने की आजादी न हो। निश्चित तौर पर आप ऐसी स्थिति में रहना पसंद नहीं करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की पहली जरूरत आजादी होती है लेकिन आजादी का मतलब यह नहीं होता है कि हम अपनी मनमानी करे। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग आजादी के आनन्द से वंचित हो जाएँगे। अतः स्वतंत्रता वैसी छूट है जिसमें व्यक्ति

किसी अन्य की स्वतंत्रता, सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था को बिना ठेस पहुँचाए अपनी आजादी का आनन्द ले सके।

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कितने तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, एक एक करके देखें:-

भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - अभिव्यक्ति की आजादी में बोलकर, लिखकर, मुद्रण, प्रकाशन द्वारा या कला के विभिन्न रूपों में अपने विचारों को व्यक्त करना शामिल है। इनके बिना हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है।

पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग किसी का निरादर, अपमानजनक शब्द, झूठा-अभियोग लगाने में, न्यायालय-का अपमान करने में, किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा-भड़काने में, अपराध के लिए उत्तेजित करने में, शालीनता एवं सार्वजनिक-व्यवस्था के विरूद्ध एवं सरकार के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने में नहीं कर सकते हैं। सरकार इस आधार पर न्याय संगत प्रतिबन्ध लगा सकती हैं। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं की गयी है।1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी कारण सदन की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु प्रकाशन बुरी भावना से किया गया है तो सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

भाषण देते हुए नेता

नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने प्रदर्शन करने,जुलूस निकालने का अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने विचारों का आदान

प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव के किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हें। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधयों में भाग लेनेवालो को अपने पास हथियार नहीं रखना चाहिए।

जुलूस का फोटो

नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता हैं जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचारया प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं।

किसी भी नागरिकों देश के किसी भी हिस्से में जाने, रहने, बसने की स्वतंत्रता है।

पेशा चुनने के मामलें में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है।

धार्मिक स्वतंत्रता

अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दुनियाँ के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने-अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म माननेवाले को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छानुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता को हमेशा-बुनियादी सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया।

आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हैं। धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वस्तु बना दी गयी है। संविधान के अन्तर्गत भारत में नागरिकों को किसी भी धर्म को ग्रहण करने उसका प्रचार प्रसार करने तथा उसके लिए अन्य कार्य करने का अधिकार दिया गया है। विभिन्न धर्मावलम्बियों को अपने धर्म का प्रचार-प्रसार के लिए भाषण देने, सभा करने, पुस्तकें प्रकाशित करने, संस्थाओं की स्थापना करने तथा शिक्षण संस्थान चलाने का भी अधिकार है। उदाहरण के लिए सिक्खों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने का अधिकार

प्राप्त है। धर्म सम्बन्धी यह अधिकार पूर्ण ही है भारत में अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं। इनमें धर्म प्रचार के ढ़ंग से आपस में मतभेद हो जाने की सम्भावना है। फलस्वरूप राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था तथा सदाचार को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नियमित तथा नियंत्रित कर सकता है। अगर किसी धर्म के अनुयायियों के धर्म प्रचार के ढंग से राज्य के अन्दर अमन चैन में खलल पहुँच सकती है अथवा कोई अनैतिक कार्य होता है तो राज्य उसे नियंत्रित तथा स्थगित कर सकता है।

धर्म-प्रचार - धर्म के अनुयायियों को स्कूल, कॉलेज, पाठशाला तथा मदरसा खोलने की स्वतंत्रता है। दूसरी शिक्षण संस्थाओं की तरह इन्हें भी राज्य द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी। किन्तु राज्य द्वारा संचालित तथा नियमित शिक्षण संस्थाओं में धर्म सम्बंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी और न विभिन्न धर्मावलम्बियों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में किसी शिक्षार्थी को उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा।

धार्मिक संस्थाओं को सम्पत्ति रखने का भी अधिकार है किन्तु उसकी सम्पत्ति को भी राज्य वैसे ही नियमित और नियंत्रित कर सकता है जिस तरह अन्य साधारण नागरिकों की सम्पति को नियमित तथा नियंत्रित किया जाता है।

राज्य किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए तथा किसी विशेष धर्म की सहायता के लिए राजकोष से न तो किसी तरह की आर्थिक सहायता दे सकता है और न वह नागरिकों से उक्त प्रयोजनो के लिए किसी तरह का कर वसूलकर सकता है।

खुद करें, खुद सीखें

1. अपने गाँव शहर में होनेवाली आर्थिक गतिविधियाँ तथा विभिन्न धर्मावलम्बियों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थाओं की सूची बनाएँ।

2. वैसी घटनाओं की अखबारी कतरने जमा करें जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर आघात किया गया हो और इसके विरूद्ध आवाज उठायी गयी हो तथा मुकदमा हुआ हो।

सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार

विविधता में एकता हमारे देश के राष्ट्रीय चरित्र की प्रमुख विशेषता है। भारतवर्ष में भाँति-भाँति के लोग रहते हैं तथा उनकी अपनी भाषा-लिपि तथा संस्कृति है। संविधान की इन धाराओं के माध्यम से भारत में रहने वाले हर प्रकार के लोगों को अपनी अपनी लिपि, भाषा, तथा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उन्हें स्कूल, पाठशालाएँ, कॉलेज, संग्रहालय खोलने तथा संचालित करने का अधिकार है।

विभिन्न धर्मों पर आधारित वर्गों, तथा अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर नामांकन लेने से नहीं रोका जा सकता।

सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।

जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देनी होती है। बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के समय से चौबीस घंटे के अन्दर निकटस्थ दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना आवश्यक है। गिरफ्तार हुए व्यक्ति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी वकील से अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में परामर्श कर सके तथा पैरवी करा सके।

भारतीय संविधान में निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था की गयी है। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक, शान्ति, समाज के लिए आवश्यक सेवाओं को बनाए, रखने भारत की सुरक्षा, विदेशी-मामलों आदि के आधार पर निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करने वाले

कानून बनाए जा सकते हैं। इन कानूनों के अन्तर्गत यदि सरकार को किसी व्यक्ति पर संदेह है कि वह निकट भविष्य में अपराध कर सकता है तो सरकार उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही नजर बन्द कर सकती है। 24 अक्टूबर और 31 दिसम्बर 2001 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आतंकवाद विरोधी अध्यादेश में निवारक नजर बन्दी की व्यवस्था की गयी थी। इस अध्यादेश को 26 मार्च 2002 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के अधीन निवारक नजरवन्दी कीव्यवस्था की गयी थी। लेकिन यू0पी0ए0 के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पोटा(POTA) को निरस्त कर दिया गया।

शोषण के विरूद्ध अधिकार : सदियों से भारत में बेगारी की प्रथा प्रचलित थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह प्रावधान किया ताकि कमजोर वर्ग का शोषण न हो।

संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है, खास तौर पर ऐसे धोखे की शिकार महिला एवं बच्चे जिनका अनैतिक कार्यों में शोषण किया जाता है। चेन्नई में देवदासी कुप्रथा द्वारा बालक बालिकाओं को देवी देवताओं को अर्पित कर दिया जाता था और बाद में चलकर ये बालिकाएँ अनैतिक कार्यों में लगने के फिर बाध्य हो जाती थी। इस कुप्रथा को अधिनियम बनाकर समाप्त कर दिया गया।

हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या बलात् श्रम का निषेध भी करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने भविष्य के किए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जबरन जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं।

संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने या खदानया रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी चौदह वर्ष के कम उम्रके बच्चे से काम नहीं करा सकता है। इसे आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं- बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने,दीया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंगरोगन जैसे कार्यों में बाल मजदूरी रोकने के कानून आदि।

शिक्षा का अधिकार- 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसकी व्यवस्था संविधान के भाग तीन में की गयी है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार है। अब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी भारतीय बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल्यकाल और शिक्षा की देखभाल करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

यदि इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो इसे लागू कराने के लिए याचिका दायर की जा सकती है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

ऊपर दिए गए अधिकार व्यर्थ है अगर इन्हें मानने वाला और लागू करनेवाला न हो। सम्भव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई व्यक्ति या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो। अगर हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं।

अगर मामला मौलिक अधिकारों का हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों का मौलिक अधिकार लागू कराने के मामलें में निर्देश देने, आदेश या लेख (रिट) जारी करने का अधिकार है जिनका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं–

बन्दी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय गैरकानूनी ढ़ंग से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। अगर न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी अनुचित तथा गैरकानूनी समझी गयी तो उसे रिहा करने का आदेश भी दे सकती है।

परमादेश द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपने उस कर्तव्य को करने के लिए बाध्य कर सकता है जिसे कानूनी रूप से करने के लिए वह बाध्य है। उदाहरण के लिए कोई कारखाने का मालिक किसी मजदूर को बिना कारण हटा देता है या उसका वेतन अथवा भत्ता काट लेता है तो मजदूर के आवेदन पर कारखाने के मालिक के विरूद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है।

प्रतिषेध के द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय की ओर से किसी अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए रिट जारी किया जा सकता है जो कानून के विरूद्ध हो या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।

उत्प्रेषण के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से किसी अभियोग संबंधित सारे रिकार्ड अपने पास मंगवा सकता है।

अधिकार–पृच्छा लेख द्वारा न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति या चुनाव कानून के अनुसार नहीं हुआ हो, उसे सरकारी कार्य करने से रोक सकता है।

इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा सकती हैं। जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समुह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले में जज के नाम पोस्टकार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी मामले उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामलें में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुँच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं।

अधिकारों का बढ़ता दायरा

उपर के अध्याय में हमने मूल अधिकारों की चर्चा की। लेकिन हमें मूल अधिकारों के अलावा और भी बहुत सारे अधिकार एवं कानून संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जो सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों में विकास एवं बदलाव करते है। अधिकारों का दायरा बढ़ता जाता है। लोकतांत्रिक-व्यवस्था में अधिकारों की मांग तेजी से बढ़ती है। वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास से समानान्तर अधिकारों का विकास होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्ति के बढ़ते अधिकार इस बात की गवाही देते हैं कि उस समाज में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हो रही है।

मूल अधिकारों में से बहुत सारे अधिकार निकले हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव अधिकार, महिलाओं से संबंधित अधिकार, बच्चों से संबन्धित अधिकार। मूल अधिकारों का ही विस्तार है।

समय-समय पर अदालती फैसलों जन संघर्षों, संसद द्वारा पारित विधेयकों आदि ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाया है। संविधान में जीवन का अधिकार मिला है। आपातकाल में भी किसी नागरिक को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से जीवन के अधिकार को विस्तार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर लिया।

कई बार नये संविधानों के निर्माण से भी नये नये अधिकार सामने आते हैं जैसे–दक्षिण अफ्रीका में नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नही ली जा सकी, उनके फोन टेप नही किए जा सकते, उनके पत्र आदि खोलकर नहीं पढ़े जा सकते।

अधिकारों के उपरोक्त वर्णन के पश्चात् लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में निम्न दो अधिकारों से भी परिचित होना आवश्यक है–

1. सम्पति का अधिकार

भारत के मूल संविधान में इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। परन्तु संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम; 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से अलग कर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।

2. सूचना का अधिकार

मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा एक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है। जिसे हम **सूचना का अधिकार** कहते हैं। इस अधिकार के माध्यम से किसी भी सरकारी या सरकारी प्राप्त संस्थाओं से किसी भी कार्य एवं निर्णय से संबंधित सूचना मांगी जा सकती हैं। देश की सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था से संबंधित निर्णय तथा व्यक्ति के निजी जीवन पर असर डालने वाले कार्य को सूचना के अधिकार कानून से अलग रखा गया है। इन बातों से संबंधित सूचना नहीं भी दी जा सकती है। सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी एवं सरकार की सहायता से संचालित कार्यालयों में एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यही सूचना अधिकारी लोगों द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लोगों द्वारा मांगी गई सूचना को 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी के पास लिखित आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10 रुपया शुल्क के रूप में जमा करना पड़ना है। ये शुल्क लकद या पोस्टल आर्डर के द्वारा भी जमा हो सकता है। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है।

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं देता है या सही सूचना नहीं देता है तब प्रथम अपील के लिए अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट

नहीं होता है तब राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है। इसके लिए सभी राज्यों में राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। केन्द्रीय कार्यालयों के लिए दूसरी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग में किया जा सकता है जो दिल्ली में स्थित है।

यदि कोई सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या जान–बूझकर गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली सूचना देता है तो ऐसे सूचना अधिकारी को राज्य सूचना आयोग या केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

3. मानव अधिकार

अब तक हमने बहुत से अधिकारों के बारे में जाना। अब हम एक ऐसे अधिकार के बारे में जानेंगे जो सभी अधिकारों से महत्वपूर्ण है। यह अधिकार है– **मानवाधिकार।**

मानवाधिकार का मतलब उससे है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरीमा एवं प्रतिष्ठा से संबंध रखता है जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है या अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार समाहित है और न्यायालय द्वारा उसका पालन करवाया जा सकता है। प्राय: सभी समाजों में मानव के साथ अमानवीय व्यवहार देखा जा सकता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश, लिंग एवं नस्ल आदि ऐसे मुदद् है। जिनके आधार पर व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच भेद किया जाता रहा है। व्यक्ति को इस तरह के अमानवीय व्यवहार से बचाने की आवश्यकता महसूस की गई।

लम्बे संघर्ष के बाद विश्व स्तर पर मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए विश्व के लोकतांत्रिक देशों ने अपने संविधान में उचित व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में भी मानवाधिकार की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों पर निगरानी रखने के लिए 1993 में राष्ट्रीय **मानवाधिकार आयोग** की स्थापना की गई। इसके साथ ही भारत के अनेक राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ये दोनों आयोग लोगों को मानवाधिकार सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

इन आयोगों के पास मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला आता है तो उन्हें जाँच करती है। उसके बाद मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या पदाधिकारी के

विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश राज्य सरकार से करती है। साथ ही मानवाधिकार के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में मुआवजे की सिफारिश राज्य सरकार से कर सकती है।

मानवाधिकार की रक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाओं के बावजूद भी आज भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन तेजी से हो रहा है। भारत में जाति, धर्म, वंश, क्षेत्र, लिंग एवं नस्ल के आधार पर भेदभाव जारी है। दबंग व्यक्ति आज भी दबे कुचले बे-सहारा लोगों के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। आतंकवाद एवं नक्सलवाद धीरे-धीरे अपना पैर पसार रहा है। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में मानवाधिकार के लिए व्यापक रूप से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। मानव अधिकार से संबंधित कानूनों को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण

हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास पड़ोस एवं गली मुहल्ले में कई बूढ़े माता-पिता या वरिष्ठ अभिभावक ऐसे हैं जिनके बच्चे उन्हें उचित देखभाल नहीं करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उचित देखभाल एवं भरण-पोषण के अभाव में तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। ऐसे संतान माता-पिता या अभिभावक के प्रति अपना कर्त्तव्य तो नहीं पूरा करते हैं साथ ही पीड़ित व्यक्ति के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला भी है। इस तरह के मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए भारत सरकार ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम-2007 कानून बनाया है। इस कानून के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्ति को अपने माता-पिता एवं वरिष्ठ अभिभावक का भरण-पोषण एवं उचित देखभाल करना अनिवार्य है। जिन वरिष्ठ अभिभावक की कोई संतान नहीं है, उनका भरण-पोषण उनके सगे संबंधी द्वारा किया जाएगा। जिन माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को उचित भरण-पोषण एवं देखभाल नहीं होता है तो वे अपने जिले में

क्या आप जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कौन हैं?

वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक है और जिन्होंने 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हैं।

बने **जिला भरण-पोषण अधिकरण** में आवेदन दे सकते हैं। ये अधिकरण ऐसे आवेदनों की जाँच करता है। उसके बाद उसके संतान या सगे संबंधी को उनके भरण-पोषण का आदेश दे सकता है। हमें यह भी जानकारी होना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भी कई योजनाएँ चलायी जा रही है। जैसे- वृद्धावस्था गृह की स्थापना योजना, वृद्धा पेंशन योजना आदि।

शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग (कष्ट देना) पर रोक

प्रत्येक वर्ष स्कूल एवं कॉलेजों में नये शिक्षा सत्र के शुरू होने पर रैगिंग के नये मामले प्रकाश में आते रहे हैं, जिसे गम्भीर आपराधिक घटना माना जाता है। रैगिंग का शाब्दिक अर्थ है- **कष्ट देना**। परन्तु रैगिंग का व्यापक अर्थ है किसी विद्यार्थी को कोई कार्य करने के लिए नुकसान या मजबूर करना जो किसी मनुष्य के सम्मान को प्रभावित या कम करता है या किसी विधिपूर्ण कार्य करने के दरम्यान हँसी उड़ाना या धमकाना या गलत तरीके से रोकना बंद करना या जख्म पहुँचाना। ये सभी रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है, चाहे कार्य हँसी-मजाक में किया गया है।

रैगिंग के अंतर्गत मुख्यत: अपमान करना, कठिन कार्य करने के लिए विवश करना, अश्लील तथा अपमानजनक बातें करना, थप्पड़ मारना या लैगिंग अपमान करना आता है। सामान्यत: रैगिंग का एक मात्र कारण पुराने छात्रों द्वारा नये नामांकित छात्रों पर अपनी प्रभुसत्ता का एहसास दिलाना ही होता है। रैगिंग का गम्भीर दुष्परिणाम छात्रों के दिलो-दिमाग पर पड़ता है। रैगिंग से प्रभावित छात्र गंभीर मानसिक तनाव या अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। रैगिंग से तंग आकर कई छात्र-छात्राएँ आत्महत्या तक कर चुके हैं।

रैगिंग व्यक्ति को प्रदत्त मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकार के खिलाफ माना जाता है। रैगिंग की घटना शैक्षिक संस्थाओं में दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। जिसको देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग को गैर कानूनी घोषित किया है। अब कोई भी छात्र-छात्रा किसी दूसरे छात्र-छात्रा के साथ रैगिंग करता है तो उसके खिलाफ नजदीक के थाना में एफ०आई०आर० दर्ज कराया जा सकता है। उसके बाद उसपर कानूनी एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

4. महिलाओं से संबंधित अधिकार :

हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमारे संविधान द्वारा सभी तरह के भेदभाव को

समाप्त किया गया है। फिर भी हमारे समाज में लिंग के आधार पर महिला एवं पुरुष में अभी भी भेदभाव देखने को मिलते हैं। महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसी दशा में संविधान द्वारा महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए गये हैं। जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करता है। महिलाओं को संविधान एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के द्वारा प्रदत्त अधिकार निम्नलिखित हैं-

- शिक्षा प्रदान के लिए महिलाओं के लिए सरकार अलग से व्यवस्था करती है। सभी धर्म एवं सम्प्रदाय की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएँ अपनी रुचि से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकती हैं और उसका प्रबंधन कर सकती है।
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित की गई है, जिसपर महिला की ही नियुक्ति होती है।
- 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों को सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों एवं अन्य किसी भी जगह पर काम करने से सुरक्षा प्रदान की गई है।
- मानव के खरीद-फरोख्त (दुर्व्यापार) तथा जबरदस्ती काम कराने से सुरक्षा प्रदान की गई है। यह प्रावधान महिलाओं पर भी लागू होता है।
- राज्य महिलाओं के कल्याण के लिए प्रयास करेगा।
- राज्य महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। उन्हें न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। जो संस्था या व्यक्ति वेतन या मंजदूरी के मामले में पुरुष एवं महिला के बीच भेदभाव करेगा उन्हें दण्ड भी दिया जा सकता है।
- महिलाओं को भी समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही प्रसूति के समय आराम करने हेतु उन्हें अवकाश दिया जाने का प्रावधान है।
- पंचायती राज एवं शहरी निकाय की संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने का प्रावधान है। जिसपर केवल महिला प्रतिनिधि ही निर्वाचित होंगी।

क्या आपको पता है? बिहार में पंचायती राज की संस्थाओं एवं शहरी निकाय की संस्थाओं में महिलाओं के लिए आधे स्थान सुरक्षित रखी गयी हैं। इस तरह की संस्थाओं में आधे स्थान आरक्षित रखने वाले राज्यों में भारत में बिहार पहला राज्य है।

- महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं उसे बहाल करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई है। ये आयोग सभी वर्ग धर्म की महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है।

इन अधिकारों के अलावा भारतीय संविधान में निर्धारित मौलिक कर्त्तव्यों में भी महिलाओं की सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। जो हैं–

- 6 वर्ष तक के सभी बालिकाओं को देखरेख एवं उन्हें शिक्षा प्रदान राज्य का दायित्व। सभी नागरिकों को है।
- महिलाओं के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर के साथ–साथ लोक स्वास्थ्य में राज्य सुधार करेगी।
- अनुच्छेद 51 (क) के तहत् 6 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चियों को उनके माता–पिता द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान कराया जाएगा। यह कर्त्तव्य वर्ष 2002 में मौलिक कर्त्तव्य के अंतर्गत जोड़ा गया है।

इस तरह स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं उसे मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान द्वारा एवं अन्य कानूनी प्रावधानों द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इन सबके बावजूद भी महिलाओं पर दिन प्रतिदिन तरह–तरह से अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों में मुख्य हैं– भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, पैतृक सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकार पर विवाद आदि। आइए इनके बारे में विस्तार से जाने।

जानने योग्य बातें :-

- सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- गर्भवती महिला को किसी भी अवस्था में फाँसी या मृत्युदण्ड की सजा नहीं दी जा सकती है।
- आजादी के पश्चात् किसी भी महिला को फाँसी या मृत्युदण्ड नहीं दिया गया है।

भ्रूण हत्या :

भ्रूण हत्या का मतलब होता है माता के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराना और उसके बाद बच्चे की हत्या कर देना या गर्भपात करा देना। भ्रूण हत्या में अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि माता के गर्भ में यदि बच्ची है तो उसकी गर्भ में हत्या कर दी जाती है या फिर माता को गर्भपात करा दिया जाता है। भ्रूण हत्या के कारण आज देश में लड़कियों की संख्या लड़कों के अनुपात में काफी कम रह गई है। इसके भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं।

भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत में ''गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 '' कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी प्रकार से जन्म से पूर्व लड़का-लड़की का लिंग जाँच करना अपराध है। कोई भी व्यक्ति चाहे पति या रिश्तेदार ही क्यों न हो किसी महिला को गैर कानूनी जाँच हेतु प्रेरित नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करेगा तो उसे कानून के अनुसार सजा हो सकती है। यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे प्रथम बार का अपराध मानकर 3 वर्ष तक का कारावास और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि इसी तरह का अपराध दूसरी बार करता है तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है।

घरेलू हिंसा :

घरेलू हिंसा का मतलब है कोई व्यक्ति द्वारा किसी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति को नुकसान पहुँचाता है या उसे क्षति करता है या उसके जीवन को संकट उत्पन्न करता है या उसके शरीर को किसी तरह का दुरुपयोग करता है तो वह सभी कार्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** कानून बनाया गया है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा जैसा कोई अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार रुपया का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यहाँ हमें एक बात समझ लेना आवश्यक है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है।

बलात्कार (रेप) :

महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों में से सबसे गम्भीर अपराध है- **बलात्कार**। यदि किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाता

है तो ऐसे कार्य बलात्कार के श्रेणी में आते हैं। वर्ष 2013 में महिलाओं के प्रति बलात्कार या शील (इज्जत) भंग करने के अपराध में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के आरोप में अपराधी ठहराये गये व्यक्ति को आजीवन कारावास तक दण्ड दिया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में मृत्यु दण्ड भी दिया जा सकता है।

पैतृक सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकार :

आजादी के पूर्व स्त्रियों को पैतृक सम्पत्ति में बहुत कम ही अधिकार प्राप्त था। आजादी के पश्चात् पैतृक सम्पत्ति में स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त हो गया। वर्ष 2005 के बाद भारत में हिन्दुओं की पुत्री को पुत्र के समान ही उसके पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो गया है। पैतृक सम्पत्ति में जितनी सम्पत्ति पुत्र के हिस्सेदारी में जाएगी उतनी ही सम्पत्ति पुत्री को भी दिया जाएगा। चाहे पुत्री विवाहित हो या अविवाहित। मुस्लिम स्त्रियों को भी पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है।

5. बच्चों का अधिकार एवं उनकी सुरक्षा :

किसी भी देश के बच्चे उस देश का भविष्य होते हैं। बच्चे ही देश के भावी कर्णधार होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके जीवन एवं अधिकार की सुरक्षा के इंतजाम अवश्य होने चाहिए। भारत में संविधान और विभिन्न तरह के कानूनी प्रावधानों द्वारा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। ये संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- भारत में सभी बच्चों को समान अधिकार प्राप्त है। बच्चों के बीच किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि किसी बालक या बालिका की स्थिति बेहतर नहीं है तो उसके लिए सरकार कानून बनाकर विशेष सहायता प्रदान कर सकती है।
- बच्चों को खरीद–फरोख्त नहीं की जा सकती है। न ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जबरदस्ती किसी तरह के खतरनाक काम में लगाया जा सकता है।
- 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों द्वारा बच्चों को विशेष सहायता प्रदान कर सकता है। बच्चों की सुरक्षा हेतु राज्य विशेष कानून भी बना सकती है।

इस तरह हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भारत में बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए संविधान एवं विभिन्न तरह के कानूनों द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। बाल मजदूरी अधिनियम, बाल कल्याण समिति, भारतीय बाल कल्याण अधिनियम 1978 ऐसे ही कानून है। जो भारत में बच्चों को कल्याण एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं।

बाल मजदूरी :

बाल मजदूरी का अर्थ है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे से मजदूरी करवाना। ऐसी मजदूरी चाहे माता-पिता या अभिभावक की इच्छा से हो या जबरदस्ती हो सभी बाल मजदूरी के अंतर्गत ही आते हैं। भारत में बाल मजदूरी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति के घर, दुकान या संस्था में बच्चे मजदूरी करते हुए देखे जाते हैं या पाये जाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए **बाल मजदूरी अधिनियम 1986** नामक कानून बनाया गया है। इस कानून के द्वारा बच्चों को बाल मजदूरी से सुरक्षा प्रदान किया गया है।

बाल कल्याण समिति:

केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों के लिए जन कल्याण हेतु बनाई गई कई समितियों में से एक समिति है **बाल कल्याण समिति**। भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार भारत के सभी राज्यों में भी बाल कल्याण समिति की स्थापना की गई है। यह समिति बच्चों के कल्याण के साथ-साथ आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे को सुधार के लिए भी कार्य करती है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक बाल **अधिकार संरक्षण आयोग** की स्थापना की गई है। यह आयोग 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए कार्य करती है।

भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त हो। साथ ही अभिभावकों को भी यह जिम्मेवारी दी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

नजर अंदाज बच्चे (नेगलेक्टेड चाइल्ड) :

नजर अंदाज बच्चे का मतलब ऐसे बच्चे से हैं जिसकी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को किसी कारणवश पूरा नहीं किया जा सका है। नजर अंदाज बच्चे का सर्वांगीण

विकास नहीं हो पाता है। ऐसे बालकों को केयर एण्ड चिल्ड्रेन आफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के नामक कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षिणिक जरूरतों की पूर्ति कराई जाती है ताकि इस तरह के नजर अंदाज बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह जीवन व्यतीत कर सके।

बच्चों को दैहिक दण्ड :

हम अक्सर अपने विद्यालय में देखते हैं जब कोई छात्र किसी प्रकार की गलती करता है तो ऐसे छात्रों को दंड दिया जाता है। जैसे डंडे से पिटाई, मुर्गा दण्ड बनाना, उठक-बैठक कराना, बेंच पर खड़ा कराना आदि। इस प्रकार के दण्ड को **दैहिक दण्ड** कहा जाता है। शिक्षक छात्रों को शिष्टता बनाये रखने के लिए ऐसा दण्ड देते हैं। कभी-कभी शिक्षक छात्र को ज्यादा दंडित कर देते हैं जो छात्र के मन-मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि छात्र दैहिक दण्ड के कारण पढ़ाई भी छोड़ देते हैं और वे गलत रास्ता अपना लेते हैं। कभी-कभी छात्र को इस प्रकार दण्ड दिया जाता है कि उनका अंग-भंग भी हो जाता है। ऐसे छात्र-छात्राओं को कानून बनाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। जिसके तहत दोषी पाये गये व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे। भारत सरकार द्वारा **बाल अधिकार का सुरक्षा अधिनियम** नाम का एक कानून बनाया गया है। जिसके तहत एक कमिटी बनाई जाती है। ये कमिटी बच्चों के सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए समय-समय पर सुझाव देती है।

बच्चों के प्रति यौन अपराध :

बच्चे या बच्चियों के प्रति यौन अपराध की घटना एक गम्भीर अपराध है। इस तरह के अपराध के अंतर्गत बच्चे एवं बच्चियों के संवेदनशील अंगों के साथ छेड़खानी करना, लड़कियों के साथ बलात्कार या शीन-भंग करना आदि घटनाएँ आते हैं। इस तरह की घटनाओं को गंभीर अपराध माना गया है। जिसमें दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। विशेष परिस्थिति में ऐसे अपराधी को मृत्यु दण्ड भी दिया जा सकता है।

बाल विवाह :

भारत में विवाह हेतु उम्र निर्धारित है। लड़की को 18 वर्ष एवं लड़का को 21 वर्ष। जो सभी धर्म एवं जाति के लड़के-लड़कियों पर लागू होता है। यदि इस उम्र के पहले किसी लड़का या लड़की की विवाह होती है तो वह **बाल विवाह** कहलाता है। वर्ष 2006 में

द प्रोहिविशन आर्फ चाइल्ड मैरेज एक्ट नामक कानून बना जो वर्ष 2007 से पूरे देश में लागू है। इस कानून के अनुसार यदि किसी लड़की का 18 वर्ष से पहले एवं लड़के का 21 वर्ष से पहले विवाह होता है तो ऐसा विवाह मान्य नहीं होगा। ऐसे विवाह कराने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक कारावास या एक लाख रुपया का जुर्माना या दोनों दण्ड हो सकता है।

6. राष्ट्रीय ध्वज :

बच्चों, आप सभी हर साल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) एवं स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर अपने विद्यालय में ध्वजारोहण में अवश्य शामिल होते होंगे। राष्ट्रीय ध्वज के फहरते ही हम सभी को गर्व की अनुभूति होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारी स्वतंत्रता एवं गरिमा का प्रतीक है।

22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान ने तीन रंगों की पट्टियों से निर्मित झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में श्वेत रंग और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। केसरिया रंग त्याग और शक्ति का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का जबकि हरा रंग प्रगति एवं समृद्धि का प्रतीक है। श्वेत पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें दूरी पर 24 तीलियाँ (Spokes) बनी है। यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित **सिंह स्तम्भ** से लिया गया है। भारतीय ध्वज का मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।

क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब कहाँ फहराया जा सकता है? क्या इसे फहराने के कुछ नियम हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को राष्ट्र के सम्मान के साथ जोड़कर देखा गया है और इसका सम्मान करना हमारा एक प्रमुख मौलिक कर्त्तव्य है।

राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियमों को 'प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971' एवं 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया' में उल्लिखित किया गया है। आइए हम इनमें से कुछ मुख्य नियमों को जाने।

- ध्वजारोहण ऐसे स्थान पर हो जहाँ से वह स्पष्ट दिखाई दे। जब झंडा फहराया जाए, उसे सम्मानजनक स्थान दिया जाए।

- राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की ओर तेजी से फहराया जाए और धीरे-धीरे आदर से उतारा जाए।
- राष्ट्रीय ध्वज गंदा, मैला-कुचौला अथवा फटा हुआ नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है।
- राष्ट्रीय ध्वज को किसी के अभिवादन में नहीं झुकना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज की केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। ध्वज पर कुछ भी छपा या लिखा नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य झंडे के साथ एक ही स्तंभ में नहीं फहराना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज को जमीन या फर्श नहीं छूने देना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के खोल, रूमाल, नैपकिन एवं वस्त्रों पर छापे के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी मूर्ति, इमारत अथवा वक्ता मंच को ढकने के लिए नहीं करना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज को राज्य अथवा सेना के द्वारा किए जाने वाले मृतक संस्कारों के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो इसे रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी फहराना चाहिए।
- जब ध्वज फट जाए, कट जाए या मैला हो जाय तो उसे निजी तौर पर मर्यादा के अनुसार नष्ट कर देना चाहिए।

वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। नागरिकों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्रप्रेम एवं सद्भावना का प्रदर्शन है। अतः यह अनुच्छेद 19(I)(क) के अधीन मौलिक अधिकार है।

यदि राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई भी अमर्यादित व्यवहार हो तो यह दंडनीय अपराध है जिसकी सजा अधिकतम तीन वर्ष या समुचित अर्थ दंड या दोनों से हो सकती हैं। आइए हम अपने मौलिक कर्त्तव्य को विस्तार से जानें।

7. मौलिक कर्त्तव्य

विश्व के बहुत सारे देशों जैसे चीन, जापान, रूस, इटली आदि में अधिकारों के साथ मौलिक कर्त्तव्य का भी उल्लेख है। भारतीय संविधान में भी बाद में मौलिक कर्त्तव्यों (86वें संशोधन) को शामिल किया गया यथा–

- संविधान का पालन और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान
- स्वतंत्रता के लिए किए गए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित करनेवाले आदर्शों का सम्मान तथा पालना करना
- भारत की सम्प्रभुता, एकता, अखंडता का समर्थन और रक्षा करना
- देश की रक्षा एवं आवश्यकता के समय राष्ट्रीय सेवा करना
- धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय अथवा वर्गीय भिन्नता से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों में समन्वय तथा संयुक्त भ्रातृत्व की भावना विकसित करना तथा स्त्रियों के गौरव का अपमान करने वाली प्रथाओं का त्याग करना
- संयुक्त सांस्कृतिक तथा समृद्ध विरासत का सम्मान करना और इसको स्थिर रखना
- पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा करना तथा जीव–जन्तुओं के प्रति सहानुभूति रखना।

> जब पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जाती है और जिन माध्यमों से क्षति पहुँचाई जाती है तो कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण किया जा रहा है।
>
> प्रदूषण करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है कि तीन महीने का कारावास या हजार रुपये तक का अर्थ दंड हो सकता है।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, अन्वेषण तथा सुधार की भावना का विकास करना
- सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना व्यक्तिगत तथा सामुद्रिक गतिविधियाँ के प्रत्येक क्षेत्र के श्रेष्ठता प्राप्त करने का यत्न करना ताकि राष्ट्र प्रयत्नों तथा उपलब्धियों के उच्च स्तरों की ओर निरंतर बढ़ते रहे।
- माता–पिता द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी अवसरों की व्यवस्था।

प्रश्नावली

1. **निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है**

(क) समानता का अधिकार (ख) विदेश में घुमने का अधिकार

(ग) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

2. **मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है।**

(क) राष्ट्रपति (ख) प्रधानमंत्री

(ग) सर्वोच्च न्यायालय (घ) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय

3. **किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है।**

(क) समता का अधिकार (ख) स्वतंत्रता का अधिकार

(ग) सम्पति काअधिकार (घ) जीवन का अधिकार

4. **आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार**

(क) स्थगित किए जाते हैं (ख) समाप्त किए जाते हैं

(ग) इसके बारेमें संविधान मौन है (धा) निरर्थक हो जाते हैं।

5. **इसमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है**

(क) सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता

(ख) सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता

(ग) सरकार बदलने के लिए आन्दोलन शुरू करने की स्वतंत्रता

(घ) संविधान के केन्द्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता

6. **भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है**

(क) काम का अधिकार (ख) निजता का अधिकार

(ग) अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार

(घ) पर्याप्त जीविका का अधिकार

7. **दोनों में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या है।**

(क) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

(ख) अगर किसी धर्म विशेष के द्वारा कोई शैक्षिक संस्था चलाई जाती है तो उसे आजादी है कि वह किसी अन्य धर्म के मानने वालों का उसमें प्रवेश नहीं दे।

8. निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकार कौन है

(क) हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता

(ख) सरकार के विरूद्ध षडयंत्र करने की स्वतंत्रता

(ग) भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता

(घ) विदेश में घूमने की स्वतंत्रता

9. निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताएँ कि वह सही है या गलत

(क) भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है

(ख) हमें सिर्फ अपने परम्परागत पेशा को चुनने का अधिकार है

(ग) हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्मलिया है।

(घ) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति कोकुछ भी बोल देने के अधिकार से है

10. अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखें जिसमें हाल में ही घटे एक मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाएँ।

11. निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएँ कि उसमें किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे?

(क) सुनीता दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन देने गयी। वहाँ उसका आवेदन इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वह एक महिला है?

(ख) सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

(ग) उड़ीसा के लोग बिहार में अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था चलाते हैं।

12. **क्या आप मानते हैं कि नीचे लिखी स्थितियाँ स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें ।**

(क) शहर में दंगों के के समय लोग हथियार सहित जुलूस निकालना चाहते हैं।

(ख) रमेश एवं सुरेश वैसे इलाकों में जाना चाहते हैं जो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित है।

13. इस अध्याय में पढ़े विभिन्न अधिकारों को आपस में जोड़ने वाला एक मकड़जाल बनाएँ जैसे आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार आपस में एक दुसरे से जुड़े हैं। इसका एक कारण है कि आने जाने की स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति अपने गाँव या शहर के अंदर ही नहीं, दूसरे गाँव, दूसरे शहर और दूसरे राज्य तक जाकर काम कर सकता है। इसी प्रकार इस अधिकार को तीर्थाटन से जोड़ा जा सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का अनुसरण करने की आजादी से जुड़ा है। आप इस मकड़जाल को बनाएँ और तीर के निशानों से बताएँ कि कौन से अधिकार आपस में जुड़े हैं। हर तीर के साथ सम्बंध बताने वाला एक उदाहरण भी दें।

परियोजना कार्य–

आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक अखबार तैयार करें जिसमें निम्नलिखित चीजों को शामिल करने का प्रयास करें।

(क) अधिकारों के उल्लंघन की हाल फिलहाल की घटनाएँ

(ख) मौलिक अधिकार से जुड़े न्यायालय के फैसले से जुड़े समाचार

(ग) विश्व के अन्य देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े समाचार